भारतीय रिज़र्व बैंक,
निर्गम विभाग
6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

भाग-I
(कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें)

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को उठाने और उनका निपटान करने के लिए ई-निविदा

बोली लगाने वाले का नाम

_____

पिन कोड सहित डाक पता :

_____

फ़ोन /फ़ैक्स / मोबाइल नंबर:

_____

ई-मेल पता:

_____

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना, सख्त वर्जित है और ऐसा करना कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इसलिए, यह भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	4
अस्वीकरण	5
निविदा की समय-सारणी (एसओटी)	6-7
ई- निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश	8-13
खंड I - निविदा का फॉर्म	14
मेमोरैंडम	15-16
खंड-II- ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें	17-38
खंड-III- कार्य का दायरा	39-42
खंड-IV- भाग- I- तकनीकी बोली / बिड फॉर्म-लविवरण निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है	43-46
खंड-V- करार की शर्तें	47-52
अनुसूची ए- अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट	53
अनुसूची बी- संगठनात्मक विवरण	54
अनुसूची सी- पंजीकरण विवरण	55
अनुसूची डी- ग्राहकों की सूची	56
अनुसूची ई- बैंकर(रों) का विवरण	57
फॉर्मेट 1- सामान्य जानकारी	58-59
फॉर्मेट 2- पिछला कार्य अनुभव	60-61
फॉर्मेट 3- अर्हता दर्शाने वाले कार्य	62-63
फॉर्मेट 3ए- ग्राहक के ठेकेदार के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण-पत्र	64
फॉर्मेट 4- वित्तीय स्थिति	65
फॉर्मेट 5- किसी शेड्यूल्ड बैंक के लेटर हेड पर से सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र का फॉर्म	66
फॉर्मेट 5ए- बोलीदाता के बैंकर का विवरण	67

अनुलग्नक-I- ई-भुगतान करने हेतु एनईएफटी विवरण	68
अनुलग्नक-II सिक्योरिटी डिपॉजिट हेतु बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	69-72
अनुलग्नक III- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटार्नी का फॉर्मेट	73
अनुलग्नक-III ए भारत के साथ ज़मीनी बॉर्डर शेयर करने वाले देश के बारे में बिडर का वचनपत्र / घोषणा / प्रमाणपत्र का प्रोफ़ॉर्मा	74-75
अनुलग्नक-III बी सार्वजनिक संस्था (संस्थाओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के बारे में वचनपत्र	76
अनुलग्नक-III सी बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमे / आर्बिट्रेशन पर वचनपत्र के लिए फॉर्मेट	77
भाग-II मूल्य बोली	78-81

भारतीय रिज़र्व बैंक,

निर्गम विभाग, नई दिल्ली

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

(केवल ई- खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली कार्यालय (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है), प्रतिष्ठित और सक्षम ठेकेदारों से "**भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को उठाने और उनका निपटान करने**" के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और मूल्य बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है। अनुबंध की अवधि कार्य सौंपे जाने की तिथि से प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी और अनुबंध की शर्तों और नियमों के संतोषजनक पालन के अधीन अधिकतम एक वर्ष तक दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, सेवा प्रदाता/प्रदाताओं के प्रदर्शन के आधार पर बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा भी की जाएगी।

उपरोक्त कार्य के लिए, निविदाकर्ताओं को 'ई-निविदा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश' के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों सहित पूर्ण रूप से अपना प्रस्ताव **7 मई, 2026 को दोपहर 2:00** बजे या उससे पहले जमा करना होगा। निविदाकर्ताओं को निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार पूर्ण रूप से **₹1,60,400/-** की वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) के साथ निविदा प्रस्ताव जमा करना होगा। तकनीकी बोलियां **7 मई, 2026 को दोपहर 3:00 बजे** इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी। यदि उपरोक्त किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित कार्य के लिए अगला कार्यदिवस मान्य होगा।

निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/एमएसटीसी ई-पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट / एमएसटीसी ई-पोर्टल पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से जांच करनी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली – 110001

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) ने इच्छुक बोलीदाताओं को "भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को उठाने और उनके निपटान के लिए ई-निविदा" के बारे में पृष्ठभूमि जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि बैंक ने इसमें निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, फिर भी न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई वक्तव्य या कोई दृष्टिकोण देते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी स्वयं की जांच-पड़ताल करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में इसकी पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा कर लिया है और वे भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के निपटान के लिए निविदा प्रस्तुत करते समय बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जा रही है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और बैंक कार्य को आगे न बढ़ाने या कार्य के स्वरूप में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारणी/शेड्यूल में परिवर्तन करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निविदा प्रस्तुत करने वाले किसी भी बोलीदाता के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है। भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में "श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के निपटान" के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/बोलीदाताओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेजी पाठों के अर्थों में विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ की व्याख्या मान्य होगी।

निविदा की समय-सारणी (एसओटी)

1	कार्यों का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक में श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को उठाना और उनका निपटान करना। नई दिल्ली
2	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II – मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से एमएसटीसी द्वारा) लिमिटेड
3	कार्यक्षेत्र का निष्पादन	कार्य सौंपे जाने की तिथि से प्रभावी, एक वर्ष के लिए उद्धृत दरों पर।
4	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/2/25-26/ईटी/1113 [ब्रिकेट का निपटान]
5	वह तिथि जब एनआईटी पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी	**27 मार्च, 2026 को 11:00 बजे**
6	i) कार्य की अनुमानित वार्षिक लागत (जीएसटी सहित) ii) बयाना राशि जमा (ईएमडी) iii) लेनदेन शुल्क <u>महत्वपूर्ण नोट:</u> कृपया ध्यान दें कि वेंडरों को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच तभी मिलेगी जब उन्हें एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता। के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से लेनदेन शुल्क प्राप्त हो जाएगा।	**27 मार्च, 2026 को 11:00 बजे** **₹1,60,400/-** की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के खाते संख्या 06869229999 और आईएफएससी – RBIS0NDPA01 में एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी चाहिए। **₹4,010/-** का लेनदेन शुल्क वेंडर के लॉगिन में उपलब्ध एमएसटीसी के ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान किया जाना है। शुल्क का भुगतान चालान के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
7	एनईएफटी के माध्यम से बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि	**7 मई, 2026 दोपहर 12:30 बजे तक** एनईएफटी के माध्यम से जमा की गई ईएमडी **7 मई, 2026** को दोपहर **12:30** बजे से पहले हम तक पहुंच जानी चाहिए।
8	सिक्योरिटी डिपॉजिट	अनुबंध के ठेके के 7 दिनों के भीतर , जीएसटी सहित अनुबंध मूल्य का 5% भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा , जैसा

		कि अनुलग्नक-II में निर्धारित फॉर्मेट में दिया गया है।
9	ऑफलाइन बोली-पूर्व बैठक का आयोजन (वैकल्पिक)	**24 अप्रैल, 2026 को 11:00 बजे** स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, सम्मेलन कक्ष, निर्गम विभाग, नई दिल्ली
10	www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	**27 अप्रैल**, **2026** को दोपहर **3:00** बजे
11	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	7 मई, 2026 दोपहर 2 बजे तक
12	भाग-I (अर्थात् तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	7 मई, 2026 को दोपहर 3:00 बजे
13	भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि और समय	भाग-II यानी मूल्य बोली केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं के लिए खोली जाएगी जिनकी भाग-I यानी तकनीकी वाणिज्यिक बोली बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई गई हो। ऐसे निविदाकर्ता(ओं) को उनके द्वारा पुष्टि किए गए वैध ईमेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तिथि की सूचना दी जाएगी।

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और उसके बाद के किसी भी संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। जो निविदाकर्ता शर्तों का पालन नहीं करते हैं और दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) प्रस्तुत नहीं करते हैं, वे निविदा में मूल्य बोली खोले जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में वेंडर का एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है, जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही वेंडर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोलियां जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। वेंडर के पास श्रेणी **III** सिग्नेचर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी / आरबीआई, नई दिल्ली ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल सिग्नेचर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों एक ही होनी चाहिए।
केवल www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा करें।

1) वेंडरों को **www.mstcecommerce.com/eprocn** पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है। वेंडर के रूप में पंजीकरण करने के लिए विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें।

2) वेंडरों को पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किए गए उनके ईमेल पते पर सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया एक ईमेल प्राप्त होगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया निर्धारित ई-निविदा के समय से पहले एमएसटीसी/आरबीआई, नई दिल्ली से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी) (उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय – दिल्ली):

(i) सुश्री अर्चना, प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ
मोबाइल- 9990673698
ईमेल- nroopn10@mstcindia.in

(ii) श्रीमती रूपाली पांडे, उप प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ
मोबाइल - 9458704037
ईमेल – nroopn11@mstcindia.in

(iii) श्री मनोज पांडे, उप प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ
मोबाइल - 9727700986
ईमेल - nroopn8@mstcindia.in

पता	ईमेल आईडी	संपर्क
30/31ए जीवन विकास बिल्डिंग, पहली मंजिल, आसफ अली रोड (हमदर्द के सामने), नई दिल्ली - 110 002	mstcnro@mstcindia.in	(011) 23212357, (011) 23215163, (011) 23217850

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई नई दिल्ली):

निर्गम विभाग

1. श्री परिमल के. चौधरी**,** सहायक महाप्रबंधक
2. सुश्री रश्मि कुंडल**,** प्रबंधक

फ़ोन: 011- 23452323

ख) सिस्टम आवश्यकता:

i) विंडोज 7 और उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम

ii) आईई -9 और उससे ऊपर के इंटरनेट ब्राउज़र

iii) सिग्नेचर का प्रकार: डिजिटल सिग्नेचर

iv) सिस्टम में JRE 8 update 161 और उससे ऊपर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना चाहिए (फ़ाइल का नाम - Windows X86 Offline)
टूल्स → इंटरनेट ऑप्शन → कस्टम लेवल के अंतर्गत, सभी एक्टिव X कंट्रोल को इनेबल करने और 'यूज पॉप-अप ब्लॉकर' को डिसेबल करने हेतु;
अधिक जानकारी के लिए, वेंडर सिस्टम सेटिंग्स में आईटी टैब सेटिंग्स गाइड, एड ब्राउजर और आईटी टैब तथा www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध एफएक्यू देख सकते हैं।

2. निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के, ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

3. **लेन-देन शुल्क के संबंध में विशेष टिप्पणी:**

वेंडर, वेंडर लॉगिन में "माई मेनू" के अंतर्गत" ट्रांज़ैक्शन फ़ीस पेमेंट" लिंक का उपयोग करके ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का भुगतान करेंगे। वेंडर को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट निविदा का चयन करना होगा। वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने

	पर, वेंडर एक फ़ॉर्म भरकर चालान जेनरेट करेगा। वेंडर चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार ट्रांज़ैक्शन फ़ीस की राशि जमा करेगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस स्वतः अधिकृत हो जाएगी और वेंडर को सिस्टम द्वारा जेनरेट किया गया एक मेल प्राप्त होगा। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का भुगतान किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच प्राप्त नहीं होगी। बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समापन समय से काफी पहले ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जमा कर दें, ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
4.	बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा फ़ीस और ईएमडी (यदि कोई हो) का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को करें, जैसा कि एनआईटी में बताया गया है। वेंडरों को निर्देश दिया जाता है कि वे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बिडिंग फ़्लोर में **'अटैच डॉक्यूमेंट'** लिंक का इस्तेमाल करें। एक साथ कई डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले एक डॉक्यूमेंट का अधिकतम साइज़ 4 एमबी है। एक बार डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर 'अटैच डॉक्यूमेंट' लिंक के जरिए उस विशेष निविदा के साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि डॉक्यूमेंट किसी निविदा के साथ अटैच नहीं किए जाते हैं या आरबीआई नई दिल्ली द्वारा डाउनलोड नहीं किए जा सकते हैं, तो यह माना जाएगा कि वेंडर ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं। ज़्यादा मदद के लिए, कृपया www.mstcecommerce.com/eprocn पर उपलब्ध **एफएक्यू** देखें।
5.	बोली लगाने वालों को सभी सूचनाएं और पत्राचार, आरबीआई, नई दिल्ली और साथ ही एमएसटीसी (ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता) द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया के दौरान, केवल ईमेल के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। इसलिए, बोली लगाने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी (यानी, सेवा प्रदाता) के साथ वेंडर के पंजीकरण के चरण में, उनके द्वारा दिया गया ईमेल पता वैध और अपडेटेड हो। बोली लगाने वालों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने DSC (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
6.	(i) कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में बताई गई वेबसाइट से निविदा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने वाली पार्टियों की लिस्ट निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, बोली लगाने वालों को किसी भी बदलाव की जानकारी खुद रखनी होगी और निविदा खुलने की तय तारीख से पहले वेबसाइट को एक बार फिर से देखना होगा, ताकि यह पक्का हो सके कि निविदा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद, उस निविदा के संबंध में अपलोड किया गया कोई भी शुद्धिपत्र उनसे छूट न गया हो। **यदि कोई संबंधित शुद्धिपत्र हो, तो**

	उसे डाउनलोड करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से बोली लगाने वालों की ही होगी। इस एनआईटी में किसी भी संशोधन (यदि कोई हो) के संबंध में, उन निविदाकर्ताओं को कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprocn देखें।
7.	एनआईटी में बताई गई निर्धारित तिथि और निर्धारित समय के बाद ई-निविदा तक पहुँच नहीं नहीं होगी।
8.	**ई-निविदा में बोली लगाना** क) बोली लगाने वालों को ई-निविदा के लिए ज़रूरी ईएमडी, निविदा फीस (यदि कोई हो) और ट्रांज़ैक्शन फीस अलग से जमा करनी होगी। निविदा फीस और ट्रांज़ैक्शन फीस वापस नहीं की जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बोली में सफल न होने वाले बोली लगाने वालों की ईएमडी, काम सौंपे जाने के तुरंत बाद आरबीआई, नई दिल्ली द्वारा वापस कर दी जाएगी। ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली, दोनों को जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है। ग) जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे ही एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprocn पर उपलब्ध 'वेंडर लॉगिन' विकल्प के माध्यम से इंटरनेट द्वारा अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोलियां जमा कर सकते हैं। घ) बोली लगाने वाले को जोखिम स्वीकार करते हुए और 'Run' पर क्लिक करके, 'enApple' नामक एप्लिकेशन को चलाने की अनुमति देनी होगी। यह प्रक्रिया बिड फ्लोर पर पहुँचने के तुरंत बाद दो बार पूरी करनी होगी। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो बोली लगाने वाला अपनी बोली को सेव या सबमिट नहीं कर पाएगा (विस्तृत जानकारी के लिए वेंडर गाइड और एफएक्यू देखें)। ङ) सबसे पहले वेंडर को कमर्शियल स्पेसिफिकेशन (अगर कोई हो) भरना होगा और उसे सेव करना होगा। इसके बाद वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बिडर को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार यह हो जाने पर, मूल्य बोली का लिंक एक्टिव हो जाता है; इसे भरना होता है, और फिर बिडर को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। इसके बाद, जब तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों

सेव हो जाएं, तो बिडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

ध्यान दें:- फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दो और ऑप्शन दिखाई देंगे: "विथड्रा बिड" और "डिलीट बिड"। अगर वेंडर अपनी बिड हमेशा के लिए वापस लेना चाहता है, तो उसे "विथड्रा बिड" लिंक पर क्लिक करना चाहिए। इसके बाद वह दोबारा बिड नहीं कर पाएगा। अगर वेंडर फाइनल सबमिशन के बाद बिड को डिलीट करके उसे दोबारा सबमिट करना चाहता है, तो उसे "डिलीट बिड" पर क्लिक करके बिड को दोबारा सबमिट करना चाहिए, और फिर से "फाइनल सबमिशन" पर क्लिक करना चाहिए।

च) सभी मामलों में, बोली जमा करते समय बोलीदाता को अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल सिग्नेचर का भी उपयोग करना चाहिए।

छ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले एक-दूसरे के लिए और साथ ही अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ज) ई-निविदा फ़्लोर पहले से घोषित तिथि और समय से, तथा ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा।

झ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोली लगाने वाले पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोली लगाने वाले द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा**,** और बैंक द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर**,** आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए बैंक और बोली लगाने वाले के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद '**आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार**' कहा जाएगा।

ञ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र के साथ जमा की जाएँ; अन्यथा, सिस्टम द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ट) बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द, अस्वीकार, स्वीकार, वापस ले या उसकी अवधि बढ़ा दे।

ठ) निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा मंच पर बोली जमा करना, निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ड) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ़्लोर में दर्शाई गई है। कोट की जाने वाली दर, ई-निविदा फ़्लोर/निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

10.	इस ओपन ई-निविदा के परिणामस्वरूप दिया गया कोई भी आदेश, इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
11.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन अनुमत नहीं है।
12.	आरबीआई, नई दिल्ली के पास यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द कर दे या बोली (बोलियों) की प्राप्ति की अंतिम तिथि को बढ़ा दे।
13.	ऑनलाइन निविदा, एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprocn पर निर्धारित नियमों और शर्तों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार ही जमा किया जाना चाहिए।
14.	बोली लगाने वालों को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। एनआईटी की शर्तों के अनुसार जो भी अन्य दस्तावेज़ आवश्यक नहीं हैं, उन्हें अपलोड किए जाने पर भी उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
15	बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
16.	बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी। यदि जाँच के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है, तो चूक करने वाले बोलीदाता (बोलीदाताओं) की ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी। बैंक द्वारा चूक करने वाले बोलीदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें निलंबन और व्यावसायिक प्रतिबंध शामिल हैं।

(खंड I से VI)

खंड I - निविदा का फॉर्म

स्थान_____
तारीख _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

महोदय

हमने नीचे दिए गए मेमोरैंडम में बताए गए कामों से जुड़ी खास बातों, आम निर्देशों और खास शर्तों की ध्यान से जाँच की है; साथ ही, हमने उस मेमोरैंडम में बताए गए कामों की जगह (साइट) का दौरा करके उसकी जाँच की है और निविदा पर असर डालने वाली ज़रूरी जानकारी हासिल कर ली है। इसलिए, मैं/हम इस घोषणा के ज़रिए यह प्रस्ताव देते हैं कि हम उस मेमोरैंडम में बताए गए कामों को, उसी मेमोरैंडम में तय समय-सीमा के अंदर, भाग II (मूल्य बोली) में बताई गई दरों पर पूरा करेंगे। यह काम हर तरह से, करार की शर्तों, निविदा देने वालों के लिए आम निर्देशों और खास शर्तों में बताए गए निर्देशों और खास बातों के मुताबिक होगा; और अन्य सभी मामलों में भी, जहाँ तक वे लागू होते हैं, उन्हीं शर्तों के मुताबिक होगा।

2026 के ..... माह का .....दिन

मेसर्स ..... के लिए और उनकी ओर से

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

मेमोरैंडम

(क)	कार्यों का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली से श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को उठाना और उनका निपटान
(ख)	अनुमानित लागत (प्रति वर्ष)	**₹80.20 लाख** (जीएसटी सहित)
(ग)	बयाना राशि	**₹1,60,400/-**
(घ)	बयाना राशि जमा करने की विधि	₹1,60,400/- की राशि एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में खाता संख्या 06869229999 और आईएफएससी – RBIS0NDPA01 में जमा की जानी है।
(ङ)	कार्यों का निष्पादन	काम सौंपे जाने की तारीख से प्रभावी, एक वर्ष के लिए उद्धृत दरों पर।

2. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा, निविदा के भाग-I के खोले जाने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वैध रहेगी, और इस वैधता अवधि को आपसी सहमति से बैंक और मेरे/हमारे बीच लिखित रूप में तय की गई अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम, या मेरे/हमारे उत्तराधिकारी, या असाइनी, या नॉमिनी, इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत होते हैं; और यदि ऐसा करने में कोई चूक होती है, तो हम निविदा में निहित शर्तों और अनुबंध की लिखित स्वीकृति में निर्धारित धनराशि, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनियों, या नॉमिनी को जब्त के तौर पर देने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि आपको किसी भी या सभी निविदाओं को, चाहे वे पूर्ण हों या आंशिक, बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

5. निविदा, ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में जमा किया जाता है, यानी भाग I और भाग III भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें तथा तकनीकी विवरण शामिल हैं, और भाग II में केवल बैंक के प्रोफार्मा में मूल्य बोली शामिल है।

2026 के ..... माह का .....दिन

मेसर्स ..... के लिए और उनकी ओर से

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

_____ स्थान

_____ दिनांक

_____

(उपर्युक्त वर्णित साइन करने वाले के पावर ऑफ़ अटॉर्नी की सर्टिफाइड टू कॉपी साथ में लगानी होगी)।

गवाह

(1) नाम, पता और दिनांक
के साथ हस्ताक्षर _____

_____

(2) नाम, पता और दिनांक
के साथ हस्ताक्षर

खंड II

ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें (केवल ई-निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ी जानी हैं)

2.1 निविदाकर्ता की पात्रता

	पात्रता मानदंड	आवश्यकताएं	जमा किए जाने वाले दस्तावेज़
क)	फर्म/संगठन की संरचना:	बोली लगाने वाला कोई एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी या सहकारी संस्था आदि हो सकती है। फर्म/संस्था के पंजीकरण का विवरण, पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम, तिथि और पंजीकरण संख्या आदि की जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए। संयुक्त उद्यमों की अनुमति नहीं है।	निविदाकर्ता को इसके साथ संलग्न **फॉर्मेट 1** में जानकारी भरनी चाहिए और इसे निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना चाहिए। (i) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति / मेमोरेंडम / आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन / निगमन प्रमाण पत्र / साझेदारी विलेख / अन्य संबंधित दस्तावेज़ (ii) अनुलग्नक III में पावर ऑफ अटार्नी (₹100/- के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर)। (iii) पैन नं. जीएसटीआईएन नं.
ख)	अतीत के अनुभव	बोली लगाने वाला अनुभवी, साधन-संपन्न, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और लाइसेंस प्राप्त संस्था (कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व फर्म, आदि) होनी चाहिए, जिसके पास पिछले तीन वर्षों के दौरान (उस महीने के अंतिम दिन तक, जिस महीने में निविदा आमंत्रित किया गया	(i) बोली लगाने वाले को इसके साथ संलग्न Format 2 में जानकारी भरनी चाहिए, जिसमें उन समान कार्यों के ग्राहक-वार नाम बताए गए हों जिनके लिए उसने अतीत में ऐसी सेवाएँ प्रदान की हैं; यह जानकारी वर्क ऑर्डर के साथ दी जानी चाहिए। साथ ही, उसे पूर्ण

		है, उससे ठीक पहले वाले महीने के अंतिम दिन तक) इसी तरह के कार्यों को निष्पादित करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो।	किए गए समान कार्यों में कम से कम तीन वर्षों के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य भी जमा करने चाहिए। इन साक्ष्यों में विस्तृत वर्क ऑर्डर की प्रतियाँ शामिल होनी चाहिए, जिनमें कार्य सौंपे जाने की तारीख, अनुबंध की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि का उल्लेख हो; इसके अलावा, संबंधित 'कार्य-समाप्ति प्रमाण पत्र' भी जमा किए जाने चाहिए, जिनमें ग्राहक द्वारा जारी की गई कार्य-समाप्ति की वास्तविक तारीख और पूर्ण किए गए समान कार्यों का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो। यदि कार्य सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए हैं, तो वर्क ऑर्डर और कार्य-समाप्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ, ग्राहक द्वारा जारी किए गए 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) प्रमाण पत्र की प्रतियाँ भी जमा की जानी चाहिए। (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय में कार्य करने के पिछले अनुभव (यदि कोई हो) का विवरण, दस्तावेजी प्रमाण सहित, भी दिया जाना चाहिए।
ग)	प्रत्येक पूर्ण कार्य	जिस महीने में निविदा आमंत्रित	निविदाकर्ता को इसके साथ संलग्न

	(योग्य) का न्यूनतम मूल्य	किया गया है, उससे ठीक पिछले महीने के अंतिम दिन तक समाप्त होने वाले पिछले 3 वर्षों के दौरान, इसी तरह की सेवाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: क) तीन समान पूर्ण की गई सेवाएँ, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम न हो (अर्थात्, किसी एक अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तिगत पूर्ण की गई समान सेवा की लागत ₹32,08,000/- से कम नहीं होनी चाहिए); या ख) दो समान पूर्ण की गई सेवाएँ, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम न हो (अर्थात्, किसी एक अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तिगत पूर्ण की गई समान सेवा की लागत ₹40,10,000/- से कम नहीं होनी चाहिए); या ग) एक ऐसी ही सेवा, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से कम न हो (अर्थात्, किसी	**<u>फॉर्मेट 3</u>** में जानकारी भरनी चाहिए, और इसी तरह के कार्य/कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रमाण के रूप में, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ इसे जमा करना चाहिए। (i) पात्रता वाले कार्यों के विस्तृत वर्क ऑर्डर की प्रतियाँ, जिनमें कार्य सौंपे जाने की तारीख, अनुबंध की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि का उल्लेख हो; और साथ ही, कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य के वास्तव में पूरा होने की तारीख और किए गए समान कार्यों का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो। ये प्रमाण पत्र, यदि कार्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए हैं, तो संबंधित ग्राहक द्वारा जारी किए गए होने चाहिए; और यदि कार्य निजी कंपनियों के लिए किए गए हैं, तो वर्क ऑर्डर और कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र के साथ-साथ, ग्राहक द्वारा जारी किए गए 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) प्रमाण पत्र की प्रतियाँ भी संलग्न होनी चाहिए। (ii) हर योग्य कार्य के लिए ग्राहक सर्टिफ़िकेट, जैसा कि इसके साथ संलग्न **<u>फॉर्मेट 3ए</u>** में दिया गया है। बोली लगाने वालों के लिए यह ज़रूरी

		व्यक्तिगत अनुबंध के तहत पूरी की गई ऐसी प्रत्येक सेवा की लागत ₹64,16,000/- से कम नहीं होनी चाहिए)।	है कि उनका अपने पिछले और मौजूदा ग्राहक के साथ काम का प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो। अगर किसी बोली लगाने वाले को संबंधित ग्राहक द्वारा ग्राहक सर्टिफ़िकेट में बताए गए किसी भी पैरामीटर पर 'असंतोषजनक' या 'खराब' रेटिंग दी गई है, तो बैंक को यह अधिकार है कि वह ऐसी बोलियों को पात्रता शर्तों का पालन न करने वाली मानकर अस्वीकार कर दे। इसके अलावा, यदि बोली लगाने वाले ने अतीत में आरबीआई के किसी कार्यालय में सेवा की है या आरबीआई के किसी कार्यालय में सेवा प्रदान की है, तो बोली लगाने वाले के लिए उस क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय कार्यालय विभाग से 'ग्राहक प्रमाणपत्र' जमा करना अनिवार्य है।
घ)	वार्षिक वित्तीय टर्नओवर	अनुबंध की अनुमानित लागत का कम से कम 100% यानी ₹80,20,000/- का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान (जो पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होते हैं, यानी 31 मार्च, 2025 तक); जो विधिवत ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित हो और	बोली लगाने वाले को इसके साथ संलग्न फ़ॉर्मेट 4 में जानकारी भरनी चाहिए, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, और इसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा करना चाहिए: (i) बोली लगाने वाले के व्यवसाय के ऑडिट किए गए वित्तीय

		साथ ही पिछले तीन वित्तीय वर्षों, यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के आयकर रिटर्न की प्रतियों द्वारा भी समर्थित हो।	विवरणों/खातों की प्रतियाँ, जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित हों और जिनमें फ़ॉर्मेट 4 में निर्दिष्ट वित्तीय वर्षों की संख्या के लिए टर्नओवर दर्शाया गया हो। (ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के आयकर रिटर्न की प्रतियाँ।
ङ)	सॉल्वेंसी	निविदाकर्ता के बैंकर द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिए जारी किया गया एक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जिसकी राशि वर्तमान कार्य की अनुमानित लागत के बराबर हो और जो निविदाकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता हो। सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र की तारीख इस निविदा की तारीख से पहले की नहीं होनी चाहिए। बोलीदाता को अपने बैंकर का विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए।	(i) बोलीदाता के बैंक द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिए जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र **फ़ॉर्मेट 5** में प्रस्तुत करना होगा, यह प्रमाणपत्र बोलीदाता को निविदा जारी होने की तिथि से पहले जारी न किया गया हो। (ii) बोलीदाता को अपने बैंकर का विवरण **फ़ॉर्मेट 5ए** में प्रस्तुत करना चाहिए।
च)	निविदाकर्ता का कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि एनसीटी दिल्ली के भीतर होना चाहिए।	निविदाकर्ता को इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।	आवश्यक दस्तावेज़: - i. एनसीटी दिल्ली के भीतर स्थानीय कार्यालय / प्रतिनिधि के पते का वैध प्रमाण। ii. प्रतिनिधि का नाम, पता और संपर्क विवरण। iii. पहचान प्रमाण के रूप में प्रतिनिधि का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़: आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड।

नोट:

1. "समान सेवाओं" का अर्थ होगा, इससे संबंधित कार्य:

(क) (आरबीआई के कार्यालय से श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों को उठाना, या

(ख) आरबीआई / केंद्र / राज्य सरकार / पीएसयू / राष्ट्रीयकृत बैंकों / प्रतिष्ठित संगठनों के अन्य कार्यालयों के लिए कागज़ के कचरे और/या वुडेन स्क्रैप का निपटान, या

(ग) पार्टिकल बोर्ड निर्माता

2. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस निविदा दस्तावेज़ में बताए गए अन्य सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाए। निविदा दस्तावेज़ में दिए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार, किसी भी निविदाकर्ता का पिछला कार्य अनुभव 'समान प्रकृति' के कार्य के रूप में योग्य है या नहीं, इस पर भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और सभी निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

3. निविदा, निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु वैध रहेंगे, और इस अवधि को आपसी सहमति से तय की गई अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

4. निविदा देने वालों को, ज़रूरी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत जमा करने होंगे। इसके अलावा, अगर बोली लगाने वाले द्वारा दी गई सेवाओं की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई जाती है, या ज़रूरी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के दावे मनगढ़ंत/झूठे पाए जाते हैं—चाहे यह आरबीआई के अन्य कार्यालयों/अन्य संगठनों से मिली फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर हो (जहाँ बोली लगाने वाले ने सेवाएँ दी हैं), या ग्राहक रिपोर्ट के आधार पर, या किसी अन्य आधार पर—तो इसे उनकी बोली को अयोग्य ठहराने/खारिज करने का आधार माना जाएगा, और उनकी मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी।

5. बिना सहायक दस्तावेजी प्रमाणों या निर्धारित प्रमाणपत्रों के प्राप्त बोलियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं, और बैंक को जब भी आवश्यक लगे, तो वह उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने या सत्यापित करवाने का अधिकार रखेगा।

6. यदि दी गई जानकारी अधूरी और/या गलत पाई जाती है, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7. बैंक, यदि चाहे, तो योग्य कार्यों के लिए ग्राहकों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट, या बोली लगाने वालों की बैंकर रिपोर्ट सीधे प्राप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। बैंक स्वयं भी, बोली लगाने वाले द्वारा

अपनी बोली में बताए गए योग्य/पात्र कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।

8. जिस बोली लगाने वाले की बोली पात्रता मानदंडों को पूरा करती हुई नहीं पाई जाएगी, उसकी बोली को निविदा की आगे की प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिन बोलियों में गलत और/या अधूरी जानकारी होगी, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है और/या उन्हें भविष्य के निविदाओं आदि से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

9. निविदाकर्ता को उन ग्राहकों के नाम और पते देने चाहिए, जिन्हें उसने अतीत में ऐसी सेवाएँ प्रदान की हैं; इसके साथ ही, **"फॉर्मेट 3ए"** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार कार्य आदेश और ग्राहक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकर्ता के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियाँ, तथा साझेदारी विलेख/एमओए और निगमन प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो, की प्रतियाँ बैंक में जमा करना आवश्यक है।

2.2 निविदा जारी करना और जमा करना: -

"**भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली से श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को उठाने और उनका निपटान करने**" के लिए निविदा, **एमएसटीसी की वेबसाइट** के माध्यम से अपलोड की जाएगी। यह प्रक्रिया इस दस्तावेज़ में दिए गए "**ई-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों**" में निर्धारित प्रक्रियाओं के पूर्णतः अनुरूप होगी, और यह निविदा, निविदाकर्ताओं की भागीदारी के लिए 07 मई, 2026 को 14:00 बजे तक (चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हों) खुली रहेगी।

2.3 भाग I – तकनीकी एवं वाणिज्यिक / कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें

क. काम की अनुमानित लागत ₹80.20 लाख प्रति वर्ष है; हालाँकि, वास्तविक राशि निविदा देने वालों द्वारा बताई गई दरों और वास्तव में किए गए काम के आधार पर अलग हो सकती है।

ख. भाग-I में बिना कीमत वाला निविदा होगा, जिसमें बताए गए काम का दायरा, काम की चीज़ों की विशेषताएं, दस्तावेज़, और व्यापारिक नियम और शर्तें वगैरह शामिल होंगी। अर्नेस्ट मनी (बयाना राशि) एनईएफटी के ज़रिए जमा की जाएगी।

ग. जमा किए गए निविदा के भाग-I में, जब तक इस दस्तावेज़ में अलग से कुछ और न कहा गया हो, नीचे दी गई चीज़ें शामिल होंगी:

(i) बयाना जमा राशि (ईएमडी) एनईएफटी के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में खाता 06869229999 और आईएफएससी – RBIS0NDPA01 में, एनआईटी में दी गई तारीख और समय पर या उससे पहले जमा करना होगा। निविदा देने वाला ईएमडी जमा करने का दस्तावेजी सबूत/एनईएफटी लेन-देन की स्कैन की हुई कॉपी जमा करेगा।

(ii) निविदा के दस्तावेज़ों पर दस्तखत करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म वगैरह की मुहर के साथ पावर ऑफ़ अटॉर्नी/अधिकार पत्र।

(iii) कोई भी अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदा देने वाला देना चाहता हो।

(iv) अनुबंध मूल्य (जीएसटी सहित) के पाँच प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी, जो अनुबंध-II में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर, काम मिलने की तारीख से 7 दिनों के अंदर सफल निविदा देने वाले द्वारा जमा की जाएगी। अनुबंध की अवधि के दौरान, अगर ठेकेदार द्वारा उठाई जाने वाली ब्रिकेटों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है या कोई और बदलाव होता है, तो बैंक को बढ़ी हुई राशि के पाँच प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त बैंक गारंटी मांगने का अधिकार सुरक्षित है। ठेकेदार, जब भी बैंक द्वारा मांग की जाएगी, उसके अनुसार सात दिनों के अंदर अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी देने के लिए बाध्य होगा, और साथ ही अनुबंध की अवधि के दौरान बनी ब्रिकेटों की अतिरिक्त मात्रा को उठाने के लिए भी बाध्य होगा।

घ. निविदा देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने से पहले साइट पर जाएं और साइट की स्थितियों से खुद को परिचित कर लें।

ङ. निविदा देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा, अनुबंध की सामान्य शर्तों और निविदा के दस्तावेज़ों में बताए गए काम के दायरे के आधार पर ही जमा करें, और किसी भी तरह का बदलाव न सुझाएं। अगर निविदा के दस्तावेज़ों में दी गई शर्तों को स्वीकार करने से कीमत पर कोई असर पड़ता है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसे बताई गई कीमत में शामिल किया जाना चाहिए। नियमों और शर्तों से अलग कोई भी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

च. सभी जानकारी और पत्राचार, क्षेत्रीय निदेशक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित होने चाहिए।

2.4 निविदा खोलना

बैंक अधिसूचित तिथि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा।

2.5 बोली-पूर्व बैठक

निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकर्ताओं के लिए एक 'प्री-निविदा ब्रीफिंग बैठक' **24 अप्रैल, 2026 को सुबह 11:00 बजे** भारतीय रिज़र्व बैंक, ग्राउंड फ्लोर, निर्गम विभाग, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य निविदा के संबंध में निविदाकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु या शंका

को स्पष्ट करना है। इस बैठक के लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में इस 'बोली-पूर्व बैठक' में अवश्य शामिल हों।

2.6 (i) निविदा की वैधता

निविदा, निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु मान्य रहेगा, और इसे आपसी सहमति से तय की गई अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यदि इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निविदा वापस ले लिया जाता है, तो बैंक बयाना जमा राशि को जब्त कर सकता है। निविदाकर्ता द्वारा बताई गई दरें अनुबंध की अवधि के दौरान, यानी काम सौंपे जाने की तारीख से, स्थिर रहेंगी। अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष की होगी, जो काम सौंपे जाने की तारीख से शुरू होगी, और इसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है—एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए—शर्तों और नियमों में बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, बशर्ते ठेकेदार का प्रदर्शन संतोषजनक हो।

(ii) **मूल्यांकन/मानदंड – अनुबंध प्रदान करना**

(क) भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली, निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में दी गई निर्धारित तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बिडर (बोली लगाने वाले) बिड के इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोले जाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं।

(ख) भाग II की मूल्य बोली केवल उन बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी, जिनकी भाग I की तकनीकी-वाणिज्यिक बोली आरबीआई, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं को भाग II की मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना, उनके द्वारा पुष्ट किए गए वैध ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।

(ग) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरें प्रस्तुत करें। इसमें कोई मोल-भाव नहीं होगा, इसलिए कृपया मूल्य बोली जमा करते समय अपनी सबसे प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत करें। यदि मौजूदा बाज़ार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश उच्चतम बोलीदाता को दिया जा सकता है; और यदि दर अभी भी कम मानी जाती है, तो बैंक अपने हितों की रक्षा के लिए एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(घ) जो बोली लगाने वाला सबसे ज़्यादा दर बताएगा, उसे एच1 (सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला) माना जाएगा और उसे अनुबंध देने के लिए सफल बोली लगाने वाला माना जाएगा। अगर दो या ज़्यादा निविदा देने वाले सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं, यानी वे एक ही रकम बताते हैं, तो ऐसे निविदा देने वालों से एक सीलबंद लिफाफे में पहले से बताई गई रकम से ज़्यादा दर मांगी जाएगी, और बताई गई दरों में से जो सबसे

ज़्यादा होगी, उसे एच-1 (सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला) माना जाएगा। अगर नए प्रस्तावों में दो या ज़्यादा बोली लगाने वालों की बदली हुई निविदा रकम फिर से बराबर पाई जाती है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में जिस फर्म का सालाना टर्नओवर सबसे ज़्यादा होगा, उसे अनुबंध देने के लिए चुना जाएगा।

2.7 सबसे ऊँची बोली स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है

2.7.1 बैंक सबसे ऊँची या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और उसे बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को—चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से—अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

2.7.2 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह अपनी निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उसे हुए किसी भी प्रकार के खर्च, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा; भले ही बैंक निविदा में संशोधन करने या उसे वापस लेने का निर्णय ले।

2.8 बयाना राशि और सिक्योरिटी डिपॉजिट

2.8.1 इच्छुक निविदाकर्ताओं को बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में **₹1,60,400/-** की राशि जमा करनी होगी, जिसे एनआईटी में दी गई तारीख को या उससे पहले एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना है। यदि निविदाकर्ता, निविदा जमा करने के बाद, अपने प्रस्ताव से हट जाता है या उसकी शर्तों और नियमों में कोई बदलाव करता है, तो ऐसी निविदाएँ रद्द की जा सकती हैं और ईएमडी जब्त किया जा सकता है। बैंक ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं देगा।

2.8.2 एनईएफटी के माध्यम से जमा की गई ईएमडी 07 मई, 2026 को 12:30 बजे से पहले हमारे पास पहुँच जानी चाहिए।

2.8.3 ईएमडी जमा किए बिना कोई भी निविदा रद्द की जा सकती है।

2.8.4 सफल निविदाकर्ता के अलावा, अन्य सभी निविदाकर्ताओं की बयाना राशि बोली की वैधता अवधि (बढ़ाई गई वैधता सहित) समाप्त होने पर, अथवा सफल निविदाकर्ता को कार्य सौंपे जाने पर—इन दोनों में से जो भी पहले हो—वापस कर दी जाएगी।

2.8.5 सफल निविदाकर्ता की ईएमडी, काम दिए जाने के 7 दिनों के भीतर संलग्न फॉर्मेट (अनुलग्नक II) में सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर बैंक गारंटी जमा करने पर, या निविदा स्वीकार न किए जाने पर, वापस कर दी जाएगी; लेकिन यह उस अवधि की समाप्ति तिथि से पहले नहीं होगा जिसके लिए निविदा वैध रखा

गया है, या जब तक अनुबंध नहीं दे दिया जाता—इनमें से जो भी पहले हो।

2.8.6 यदि बैंक द्वारा निविदा का आमंत्रण वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है (जिसका अधिकार बैंक के पास किसी भी समय रहेगा), तो ईएमडी को मुक्त कर दिया जाएगा।

2.8.7 यदि सफल निविदाकर्ता सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी (बयाना राशि) जब्त कर ली जाएगी; साथ ही, इसके परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी अतिरिक्त नुकसान या क्षति के लिए निविदाकर्ता उत्तरदायी बना रहेगा।

2.9 प्रारंभ / नवीनीकरण:

(i) बैंक से अपने निविदा (निविदाओं) की स्वीकृति की सूचना मिलने पर, सफल निविदाकर्ता को:

(क) काम सौंपे जाने के 7 दिनों के भीतर, अनुबंध की कीमत (जीएसटी सहित) के पाँच प्रतिशत के बराबर 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा करना होगा। यह डिपॉजिट किसी 'शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक' द्वारा जारी 'अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी' के रूप में होना चाहिए। इसकी राशि उतनी ही होनी चाहिए जितनी अनुलग्कन-II में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार बताई गई है, और इसकी 'क्लेम अवधि' (दावा करने की अवधि) अनुबंध खत्म होने के बाद छह महीने की होनी चाहिए।

(ख) निविदा दस्तावेज़ और दरों की सूची में दी गई शर्तों के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक 'नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर' पर अनुबंध को निष्पादित और कार्यान्वित करते हुए एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा। स्टांप पेपर का खर्च सफल निविदाकर्ता को ही उठाना होगा।

(ii) अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष की होगी, जो काम सौंपे जाने की तारीख से शुरू होगी। इसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है (एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए), जिसमें शर्तों और नियमों में बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी; यह सब ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

(iii)जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली होगी, तो बैंक द्वारा अनुबंध को आगे बढ़ाने के मामले की समीक्षा की जाएगी। ठेकेदार को मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले बैंक को लिखित रूप में यह बताना होगा कि क्या वह मौजूदा शर्तों और नियमों पर अनुबंध को आगे एक वर्ष के लिए नवीनीकृत करने को तैयार है।

(iv)यदि ठेकेदार अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए मांगी गई दरों में कमी करता है, तो बैंक उस कमी की औचित्यता की जांच कर सकता है। बैंक अपने विवेक से, मांगी गई कमी के संबंध में ठेकेदार के साथ

बातचीत भी कर सकता है।

(v) सफल निविदाकर्ता को उन मज़दूरों/ड्राइवरों की एक सूची जमा करनी होगी जिन्हें वह अनुबंध पक्का होने पर काम पर रखेगा। उसे इन सभी के पूरे नाम और पते, साथ ही हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित फोटोकॉपी, लागू बीमा दस्तावेज़, और अनुबंध शुरू होने से पहले करवाया गया पुलिस सत्यापन भी उपलब्ध कराना होगा।

2.10 ठेकेदार के कर्तव्य:

अनुबंध की वैधता अवधि पूरी होने तक, अनुबंध को सफलतापूर्वक पूरा करने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की ही रहेगी। यदि ठेकेदार सौंपा गया काम पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करनी होगी, जिसके लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं है।

(i) निविदाकर्ता को आवश्यक परमिट प्राप्त करना तथा सभी संबंधित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।

(ii) ठेकेदार इस अनुबंध को आगे किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को उप-ठेके पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर सकता है।

(iii) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि काम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, रजिस्ट्रेशन पेपर, परमिट, पीयूसी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र हो, और उनका टैक्स अप-टू-डेट जमा हो, तथा वाहनों का बीमा कवर भी हो। ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठेकेदार, उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाणपत्र आदि की कमी के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और खर्च के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और उसे क्षतिपूर्ति से सुरक्षित रखेगा।

(iv) ठेकेदार बैंक की आईएस नीति के संबंधित प्रावधानों का पालन करेगा।

2.11 अनुबंध और भुगतान की शर्तें

2.11.1 ठेकेदार, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें (ओएसएच) संहिता, 2020 की धारा 119 (1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 47 के अनुसार एक वैध श्रम लाइसेंस प्रस्तुत करेगा, और साथ ही उपरोक्त

संहिता (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) की अन्य आवश्यकताओं का भी पालन करेगा; इन आवश्यकताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, सांविधिक बकाया आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार देश के सभी लागू श्रम कानूनों का भी पालन करेगा। ठेकेदार, माल उठाने की लागत, श्रम, परिवहन, सभी सांविधिक दायित्वों की पूर्ति हेतु सांविधिक बकाया, बोनस, ओवरहेड लागत, लाभ मार्जिन, सभी करों, लेवी आदि से संबंधित किसी भी उल्लंघन के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और उसे क्षतिपूर्ति से सुरक्षित रखेगा।

2.11.2 अनुबंध के अन्य नियम और शर्तें:

(i)आरबीआई, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें (ओएसएच) संहिता, 2020 की धारा 55 से बाध्य होगा।

(ii) ठेकेदार, अपने द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों के संबंध में सभी प्रकार के रिकॉर्ड/रजिस्टर बनाए रखेगा।

(iii) ठेकेदार का यह दायित्व है कि वह अपने संविदा श्रमिकों को ऐसा वेतन दे जो 'न्यूनतम वेतन संहिता, 2019' के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो; साथ ही, वह उन्हें छंटनी मुआवजा, नोटिस वेतन, ग्रेच्युटी और बोनस (जैसा भी देय हो) का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार संहिता और नियमों के तहत अपेक्षित सभी कल्याणकारी उपाय संविदा श्रमिकों को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iv) ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020' की उपर्युक्त आवश्यकताओं तथा उक्त अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन का दस्तावेजी प्रमाण अपने पास सुरक्षित रखे। आरबीआई को निरीक्षण या सत्यापन के लिए ऐसे दस्तावेज़ों को तलब करने का अधिकार होगा, और जब भी आरबीआई द्वारा ऐसे दस्तावेज़ मांगे जाएं, तो उन्हें उपलब्ध कराना ठेकेदार का कर्तव्य होगा।

(v) ठेकेदार, "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक परिसर के भीतर अपने किसी श्रमिक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होने पर, वह शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी; तत्पश्चात, ठेकेदार उक्त अधिनियम के तहत उस शिकायत पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार के किसी भी पीड़ित श्रमिक द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई यौन उत्पीड़न

की शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित 'क्षेत्रीय शिकायत समिति' द्वारा लिया जाएगा। इसी प्रकार, बैंक के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा ठेकेदार के किसी श्रमिक के विरुद्ध की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत का संज्ञान भी बैंक द्वारा गठित 'क्षेत्रीय शिकायत समिति' द्वारा ही लिया जाएगा। यदि किसी घटना में ठेकेदार का कोई श्रमिक शामिल पाया जाता है, तो उस स्थिति में देय किसी भी प्रकार के मौद्रिक मुआवजे (उदाहरणार्थ: बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली कोई भी आर्थिक राहत) के भुगतान के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा—विशेषकर तब, जब ठेकेदार के श्रमिक द्वारा यौन हिंसा किए जाने का आरोप सिद्ध हो जाता है। ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह अपने श्रमिकों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में जागरूक करे।

2.11.3 इस अनुबंध के नियमों और शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि को ईएमडी/एसडी काट लिया जाएगा, यदि उपलब्ध राशि इसकी अनुमति देती है; और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि किसी अन्य कारण से देय न हो गई हो, इस कटौती के दस दिनों के भीतर, काटी गई राशि को नकद रूप में वापस जमा करके उसकी भरपाई करेगा।

2.11.4 अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष की होगी, जो कार्य सौंपे जाने की तारीख से शुरू होगी, और इसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है—एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए—चाहे अनुबंध करार के नियमों और शर्तों में कोई बदलाव हो या न हो, और यह अनुबंध की शर्तों के संतोषजनक निष्पादन पर निर्भर करेगा।

2.11.5 ठेकेदार को सौंपे गए कार्यों के लिए समय का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, ठेकेदार को बैंक द्वारा निर्धारित सूचना पर पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि सभी ब्रिकेट/श्रेड को नियमित रूप से प्रतिदिन उठाया जाना सुनिश्चित हो सके। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिकेट/श्रेड/ब्रिकेट बैग उठाते समय कार्यालय परिसर में कुछ भी शेष न रह जाए।

2.11.6 ठेकेदार, बैंक से प्राप्त और अपने साथ ले जाए गए ब्रिकेटों/श्रेडों के लिए भुगतान उसी दिन या अगले दिन एनईएफटी के माध्यम से करेगा।

2.11.7 बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि वेंडर द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, रसीद-पश्चात ऑडिट, तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से कोई कम भुगतान पाया जाता है, तो बैंक उस राशि की वसूली कर सकता है या उसकी वसूली को लागू कर सकता है। अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि, 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' में से काट ली जाएगी। इस संबंध में ठेकेदार, बैंक को किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान से सुरक्षित रखेगा।

2.11.8 यदि इस अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व के उत्पन्न होने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के मुकदमों के लिए, दिल्ली स्थित न्यायालयों का ही अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

2.12 कर

बताई गई कीमतों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों वगैरह द्वारा लगाया गया जीएसटी शामिल नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें अन्य सभी शुल्क शामिल माने जाएंगे, जैसे कि सामान उठाने का खर्च, मजदूरी, परिवहन, सभी कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए ज़रूरी कानूनी शुल्क, बोनस, ओवरहेड खर्च, मुनाफ़ा मार्जिन, अन्य सभी टैक्स, लेवी वगैरह या कोई अन्य खर्च। ठेकेदार किसी अन्य खर्च का दावा नहीं करेगा और बैंक बताई गई दर में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। **वेंडर द्वारा जमा की गई बोली की रकम के ऊपर टैक्स/जीएसटी लागू होगा।** भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू टैक्स स्रोत पर ही काट लिए जाएंगे और इसके लिए ठेकेदार को एक सर्टिफ़िकेट जारी किया जाएगा।

2.13 बीमा

(क) ठेकेदार साइट पर काम शुरू होने की तारीख को या उससे पहले, निम्नलिखित बीमा पॉलिसियाँ लेगा।

i. पूरे अनुबंध मूल्य के लिए 'ठेकेदार की सभी जोखिम पॉलिसी' (सीएआर पॉलिसी), जिसमें आग का जोखिम भी शामिल हो।

ii. साइट पर तैनात सभी कर्मचारियों के लिए 'कर्मचारी क्षतिपूर्ति पॉलिसी'।

iii. 'तृतीय पक्ष दायित्व पॉलिसी' - या तो एक अलग पॉलिसी के माध्यम से, या सीएआर पॉलिसी के अंतर्गत; और जिसका विवरण निम्नलिखित विवरणों के अनुसार हो:

1. व्यक्तियों को चोट लगने पर – ₹5 लाख प्रति व्यक्ति, प्रति दुर्घटना।
2. संपत्ति को नुकसान होने पर – ₹2 लाख प्रति दुर्घटना, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25 लाख है।

(ख) सभी बीमा पॉलिसियाँ आरबीआई, नई दिल्ली और ठेकेदार के संयुक्त नाम से (पॉलिसी में आरबीआई, नई दिल्ली का नाम पहले लिखा जाएगा) ऐसे जोखिमों के विरुद्ध ली जाएँगी और काम शुरू होने से पहले (काम मिलने के 14 दिनों के भीतर) ऐसी पॉलिसियाँ बैंक को सौंपी जाएँगी। कर्मचारियों के मुआवजे के लिए, ठेकेदार द्वारा ली गई अंब्रेला पॉलिसी स्वीकार्य नहीं होगी।

(ग) बीमा पॉलिसियाँ अनुबंध की शुरुआती अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए और यदि बैंक द्वारा अनुबंध का

नवीनीकरण किया जाता है, तो उन्हें दो और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

(घ) यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसियाँ लेने/नवीनीकृत करने में विफल रहता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित सूचना देकर इसकी व्यवस्था करेगा और बीमा प्रीमियम की राशि ठेकेदार से वसूल करेगा या ठेकेदार द्वारा जमा की गई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से वह राशि काट लेगा।

(ङ) यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ नहीं लेता है, तो बैंक अपने विवेक से, ठेकेदार से किसी भी नुकसान या क्षति की लागत, साथ ही जुर्माना वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(च) बीमा पॉलिसी की एक प्रति काम शुरू होने से पहले जमा की जानी चाहिए; ऐसा न करने पर, बैंक अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(छ) ड्यूटी पर रहते हुए या अन्यथा, ठेकेदार या उसके किसी भी कर्मचारी को होने वाली किसी भी चोट, दुर्घटना, विकलांगता या जान के नुकसान के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा। ऐसी चोट, दुर्घटना या जान के नुकसान के इलाज के लिए कोई भी मुआवजा या खर्च पूरी तरह से ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी।

(ज) ठेकेदार, बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भी हिस्से, या उसमें लगे किसी भी फिक्स्चर या फिटिंग, या बैंक की किसी भी संपत्ति को ठेकेदार या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कार्य, चूक, गलती या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

2.14 बैंक के अधिकार

2.14.1 बैंक के पास निविदा की उपलब्धता की अवधि और/या बोलियाँ खोलने की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

2.14.2 बैंक के पास किसी भी/सभी आवेदनों या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा योग्यता प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है; ऐसा करने पर बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा और न ही उसे इसका कोई कारण बताना होगा।

2.14.3 जो बोली लगाने वाला सबसे ज़्यादा दर बताएगा, उसे एच1 (सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला) माना जाएगा और उसे अनुबंध देने के लिए सफल बोली लगाने वाला माना जाएगा। अगर दो या ज़्यादा बोली लगाने वाले सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं, यानी वे एक ही रकम बताते हैं, तो ऐसे बोली लगाने वालों से एक सीलबंद लिफाफे में पहले से बताई गई रकम से ज़्यादा दर मांगी जाएगी, और बताई गई दरों में से जो सबसे ज़्यादा होगी, उसे एच-1 (सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला) माना जाएगा। अगर नए प्रस्तावों में दो या ज़्यादा बोली लगाने वालों की बदली हुई बोली की रकम फिर से बराबर पाई जाती है, तो पिछले वित्तीय वर्ष में जिस कंपनी का सालाना टर्नओवर सबसे ज़्यादा होगा, उसे अनुबंध देने के लिए चुना जाएगा।

2.14.4 यहाँ बताई गई शर्तें और नियम केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं, और ये बैंक को इस बात से नहीं

रोकेंगे कि वह सफल बोली लगाने वाले के साथ करार करते समय, उस पर कोई और शर्तें या नियम लागू करे या उससे उन पर सहमति माँगे; या फिर यहाँ दी गई शर्तों और नियमों में कोई बदलाव, संशोधन या उन्हें हटा दे—जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे काम को सही और उचित तरीके से पूरा करने के लिए ज़रूरी समझा जाए।

2.14.5 यदि ठेकेदार या उसके एजेंट/कर्मचारी/ड्राइवर, बैंक की राय में, यहाँ बताई गई शर्तों और नियमों का कोई उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएँ प्रदान करते हैं, तो वे तत्काल प्रभाव से, बिना किसी सूचना या उसके बदले किसी भी मुआवजे के, दंड और/या अनुबंध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

2.14.6 उपर्युक्त बातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस करार की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर इस करार को समाप्त किया जा सकता है।

2.15 विवाद समाधान

2.15.1 यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निविदा के नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज़ का अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा (यदि निविदा एक ही समय पर अंग्रेज़ी और किसी अन्य भाषा में जारी किया गया हो)।

2.15.2 यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में, या उससे उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्षों को सद्भावनापूर्वक और आपसी चर्चा के माध्यम से, 30 दिनों की अवधि के भीतर इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए; यह अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।

2.15.3 यदि ऊपर बताई गई अवधि के भीतर कोई आपसी समझौता नहीं हो पाता है, तो विवाद को मध्यस्थ या सुलह के लिए भेजा जाएगा और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) के अनुसार उसका अंतिम समाधान किया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा और वह इस अनुबंध पर लागू होगा।

2.15.4 अधिकार-क्षेत्र और लागू कानून: यह करार दिल्ली स्थित न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के अधीन होगा। यह करार भारत के कानूनों द्वारा शासित है।

2.16 अप्रत्याशित घटना

2.16.1 इस दस्तावेज़ में किसी भी अन्य बात के होते हुए भी, कोई भी पक्ष इस दस्तावेज़ के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में हुई किसी भी देरी के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि ऐसी देरी उन परिस्थितियों के कारण न हुई हो जो उसके उचित नियंत्रण से बाहर हों [जिसमें, बिना किसी सीमा के, सरकारों के कार्यों, दैवीय आपदाओं, प्राकृतिक या सामाजिक विपत्तियों, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमलों, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली कोई भी देरी शामिल है]; बशर्ते कि, जिस पक्ष की ओर से देरी हुई है, उसके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई किसी भी देरी से उस पक्ष को देरी के लिए उसकी जवाबदेही से मुक्ति नहीं मिलेगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ ऐसी देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर हो।

2.17 अयोग्यता / सेवा-समाप्ति / दण्ड:

2.17.1 यदि कोई निविदाकर्ता, अपनी ओर से या किसी अन्य के माध्यम से, बैंक के निविदाओं की जाँच, तुलना, मूल्यांकन और अनुबंध देने के निर्णय को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार की पैरवी करने का प्रयास करता है, या उस पर कोई राजनीतिक या बाहरी दबाव डालने की कोशिश करता है, तो इसे एक गंभीर कदाचार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, उस निविदाकर्ता के निविदा को रद्द कर दिया जाएगा, और इसके अतिरिक्त उसे अगले 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोई घटना पकड़ में नहीं आती है, लेकिन बाद में इसका पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

2.17.2 इस अनुबंध को दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी कारण से समाप्त कर सकता है, बशर्ते वह दूसरे पक्ष को ऐसी समाप्ति की तीन महीने की लिखित सूचना दे।

2.17.3 यदि ठेकेदार रोजाना ब्रिकेटों उठाने में विफल रहता है, तो बैंक लिक्विडेटेड डैमेजेस के तौर पर प्रतिदिन 5000/- रुपये का जुर्माना लगाएगा। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ब्रिकेटों/श्रेडों का निपटारा अपनी मर्ज़ी के अनुसार करे और अनुबंध का पालन न करने पर ठेकेदार की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करने सहित अनुबंध को रद्द कर दे।

2.17.4 यदि ठेकेदार द्वारा श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के निपटान के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करने में कोई विलंब होता है, अथवा अनुबंध के निर्देशों का कोई ऐसा उल्लंघन होता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के निर्गम विभाग के महाप्रबंधक द्वारा गंभीर प्रकृति का माना जाता है,

तो उक्त महाप्रबंधक, नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के परामर्श से और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से, ठेकेदार पर प्रत्येक घटना के लिए 'निर्धारित क्षतिपूर्ति' के रूप में जुर्माना लगा सकते हैं और जुर्माना **10,000/- रुपये (केवल दस हज़ार रुपये) से अधिक नहीं होगा।**

2.17.5 बार-बार या लगातार देरी होने पर, या ठेकेदार द्वारा करार के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने पर, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक की मंज़ूरी से, निर्गम विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक द्वारा लिखित सूचना देकर, इस अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है; भले ही ऐसी देरी या उल्लंघन के लिए, जैसा कि पहले बताया गया है, कोई जुर्माना लगाया गया हो या नहीं।

2.17.6 अनुबंध का जारी रहना मुख्य रूप से ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। हालाँकि, ठेकेदार नोटिस अवधि के दौरान अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा उसे ऐसी जिम्मेदारियों से मुक्त न कर दिया जाए।

2.17.7 यदि ठेकेदार लगातार 3 से अधिक बार सेवाएँ देने में विफल रहता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, बिना कोई नोटिस दिए अनुबंध को समाप्त कर दे; और ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा। ऐसे मामले में सिक्योरिटी डिपॉजिट/पीबीजी जब्त कर लिया जाएगा।

2.18 कानूनों का अनुपालन:

ठेकेदार देश और संबंधित राज्य(राज्यों) में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी या अपने कर्मचारियों की ओर से की गई किसी भी लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कानूनी परिणामों से बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, जिनके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

ठेकेदार काम के संबंध में लागू होने वाले सभी संबंधित कानूनों के प्रावधानों का पालन करेगा, जैसे: वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 (ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता 2020); बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986; महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013; और/या कोई अन्य अधिनियम/कानून जो लागू हो। कुल प्रीमियम का खर्च ठेकेदार उठाएगा। ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ योगदान करने हेतु एक वैध ईपीएफ

खाता होना चाहिए। यदि किसी वैधानिक भुगतान का पालन न करने के संबंध में कोई शिकायत मिलती है, तो वह राशि बिल से काट ली जाएगी या परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के माध्यम से वसूल की जाएगी; ऐसा करने से अनुबंध रद्द करने के बैंक के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी लागू कानून या अधिनियम में संशोधन, बदलाव, प्रतिस्थापन किया जाता है, या उसे किसी बाद के कानून द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो संशोधित, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या निरस्त किए गए प्रावधानों को मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर लागू माना जाएगा।

2.18.1 ठेकेदार को सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेज़ों को, प्रचलित कानूनों के अनुसार, अद्यतन रखना होगा; और जब भी बैंक के प्रबंधन / वैधानिक अधिकारियों द्वारा माँगा जाए, तो उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

2.19 गोपनीयता कथन और गैर-प्रकटीकरण खंड:

2.20.1 इस निविदा दस्तावेज़ में दी गई जानकारी, या बाद में निविदा देने वाले (निविदाकर्ताओं) को बैंक की ओर से या बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से या दस्तावेज़ के रूप में दी गई जानकारी, इस निविदा दस्तावेज़ में बताई गई शर्तों और नियमों के अधीन होगी; साथ ही, यह जानकारी उन सभी अन्य शर्तों और नियमों के भी अधीन होगी जिनके तहत यह जानकारी दी गई है।

2.20.2 इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदा देने वालों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें अपने प्रस्ताव तैयार करने में सहायता मिल सके। इस निविदा दस्तावेज़ में वह सारी जानकारी शामिल होने का दावा नहीं किया गया है, जिसकी आवश्यकता किसी भी निविदा देने वाले को हो सकती है।

2.20.3 यह निविदा दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए, इस निविदा दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।

2.20.4 प्रत्येक निविदाकर्ता को अपनी स्वयं की जाँच और विश्लेषण करना चाहिए, तथा इस निविदा दस्तावेज़ में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जाँच करनी चाहिए; और जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।

2.20.5 बैंक और उसके कर्मचारी निविदा दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं, और न ही किसी भी कानून, अधिनियम, नियमों

या विनियमों के तहत इसके लिए कोई दायित्व स्वीकार करेंगे।

2.20.6 यह दस्तावेज़ और इसमें दी गई जानकारी गोपनीय है, और इसका उद्देश्य केवल निविदाकर्ता (ओं) के उपयोग के लिए है।

2.20.7 ठेकेदार बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/उपकरण आदि से जुड़ी कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या उसकी जानकारी में आ सकती है, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, और हर समय उसे पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जहाँ तक इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा, और न ही उसका खुलासा करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन न करना ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा, और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा कानूनी उपचार अपनाने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से पूरा हो। ठेकेदार के, जानकारी का खुलासा न करने और गोपनीयता से संबंधित दायित्व, किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या रद्द होने के बाद भी बने रहेंगे।

2.20.8 अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके रद्द होने पर, ठेकेदार बैंक को वह समस्त गोपनीय जानकारी (जिसमें उसकी मूल प्रतियाँ या फोटोकॉपियाँ भी शामिल हैं) लौटा देगा, जो उसके साथ साझा की गई थी या उसके कब्ज़े में आई थी। इस खंड (खंड 2.20) के अंतर्गत आने वाला दायित्व, अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके रद्द होने के बाद भी बना रहेगा।

2.21 बोलीदाता द्वारा भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में वचनपत्र / घोषणा / प्रमाण पत्र:

सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं. 6/18/2019- पीपीडी के माध्यम से शामिल किए गए जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) का अनुपालन, तथा इसके अनुसरण में जारी सार्वजनिक खरीद आदेशों और उनके बाद के संशोधनों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

इस संबंध में, बोली लगाने वाला अपने लेटरहेड पर एक वचनपत्र/घोषणापत्र/प्रमाण पत्र की प्रति जमा करेगा, जिस पर (अनुलग्नक-III ए) में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर लगी हो और उसके हस्ताक्षर हों। यदि बोली लगाने वाले द्वारा जमा किया गया वचनपत्र/घोषणापत्र/प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है, तो कार्य आदेश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा; साथ ही, कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है—जिसमें बयाना राशि/सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करना भी शामिल है—और बैंक भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से बोली लगाने वाले को प्रतिबंधित भी कर सकता है।

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु दिए गए उपरोक्त सभी निर्देशों तथा मानक करार की विषय-वस्तु को पढ़ लिया है और समझ लिया है, तथा उन्हें स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

पता _____ मुहर

गवाह

1. हस्ताक्षर:

   नाम:

   पता:

2. हस्ताक्षर:

   नाम:

   पता:

खंड-III कार्य का दायरा

उद्देश्य:

श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को बड़ी मात्रा में "जैसा है, जहाँ है" आधार पर उठाना और उनका निपटान करना। ठेकेदार को ब्रिकेटिंग मशीन के पूरे काम के घंटों/दिनों के दौरान पर्याप्त संख्या में मज़दूर उपलब्ध कराने होंगे। मज़दूरों को ब्रिकेटों को लगभग 50 किलोग्राम क्षमता वाले उपयुक्त बोरे में इकट्ठा करना होगा, बैंक की सलाह के अनुसार इलेक्ट्रिक या मैनुअल ट्रॉली का उपयोग करके ब्रिकेटिंग कलेक्शन रूम से ब्रिकेटों को उठाना होगा, बैंक के किसी अधिकारी की उपस्थिति में ब्रिकेटों के बोरों का वज़न करना होगा, और आगे उठाने तथा परिवहन के लिए सुरक्षा यार्ड में निर्धारित ब्रिकेट स्टोरेज रूम में ब्रिकेटों के बोरों को दैनिक आधार पर व्यवस्थित रूप से रखना होगा। वज़न करने का पैमाना (वेइंग स्केल) बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार इकट्ठा किए गए और वज़न करने के बाद निर्धारित ब्रिकेट स्टोरेज रूम में रखे गए ब्रिकेट के बोरों को बाद में दैनिक आधार पर ट्रक पर लादा जाएगा और ले जाया जाएगा। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिकेटों के बोरों को पूरे दिन (कम से कम हर घंटे) ब्रिकेटिंग कलेक्शन रूम से सुरक्षा यार्ड में स्थित ब्रिकेट स्टोरेज रूम तक नियमित अंतराल पर ले जाया जाए, ताकि ब्रिकेटिंग कलेक्शन रूम में बोरों का ढेर न लगे। मज़दूरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिकेट कलेक्शन रूम, ब्रिकेट स्टोरेज रूम और सुरक्षा यार्ड साफ़-सुथरे, व्यवस्थित और क्रमबद्ध रहें। किसी भी स्थिति में, ब्रिकेट के बोरों या ब्रिकेट के बोरों वाली ट्रॉलियों को वॉल्ट के गलियारों में नहीं रखा जाना चाहिए।

इस काम में अच्छी क्वालिटी के पर्याप्त संख्या में बोरे (जो प्रति बोरा 50 किलोग्राम ब्रिकेट उठाने के लिए उपयुक्त हों) उपलब्ध कराना और श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के परिवहन की व्यवस्था अपने खर्च पर करना शामिल है।

कार्य के दायरे का विवरण:

3.1 ठेकेदार को उन मज़दूरों की एक सूची जमा करनी होगी, जिनकी संख्या 19 (उन्नीस) से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिन्हें वह ब्रिकेटों उठाने के काम के लिए रखेगा; साथ ही उसे उनके पूरे नाम और पते, और हाल ही के पासपोर्ट साइज़ के फोटो भी देने होंगे। ठेकेदार के लिए यह ज़रूरी है कि वह अनुबंध शुरू होने से पहले, अपने द्वारा रखे गए सभी मज़दूरों के पिछले रिकॉर्ड और चरित्र की पुलिस से जाँच करवाए। यदि ठेकेदार द्वारा रखे गए मज़दूरों की संख्या 19 (उन्नीस) से ज़्यादा होती है, तो इसके सभी परिणामों के लिए ठेकेदार ही ज़िम्मेदार होगा।

3.2 ठेकेदार बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में तय जगह से ब्रिकेट/श्रेड को रोजाना नियमित रूप से उठाएगा, उस जगह की सफ़ाई करेगा और वहाँ किसी भी तरह का जमाव नहीं होने देगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रिकेटों को रोजाना उठाने के बाद, कैश एरिया में ब्रिकेटों का कोई भी बैग उठाने के लिए न बचा रहे। ठेकेदार अपने खर्च पर पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेगा। बोरे साफ़-सुथरे और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और हर बोरे में 50 किलोग्राम ब्रिकेटों उठाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

3.3 ठेकेदार को ब्रिकेट बैग के परिवहन के लिए अपने खर्च पर अलग से इंतज़ाम करना होगा। ठेकेदार ब्रिकेटों को उठाने के लिए अपना खुद का ट्रक लगाएगा और उन दूसरे वेंडर के ट्रकों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो आरबीआई में रेमिटेंस के मकसद से आते हैं। परिवहन के लिए ठेकेदार जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करेगा, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके सभी टैक्स भरे हुए होने चाहिए और उनके पास वैध परमिट होने चाहिए। लगाए गए ड्राइवर के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ट्रैफ़िक कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाना होगा। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी। ड्राइवरों/हेल्परों के पिछले रिकॉर्ड का पुलिस सत्यापन ज़रूर होना चाहिए।

3.4 बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय इस करार को रद्द कर दे। यदि ठेकेदार करार की शर्तों के अनुसार अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है, या किसी भी सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी।

3.5 ठेकेदार, बैंक से प्राप्त और अपने साथ ले जाए गए ब्रिकेटों/श्रेडों के लिए भुगतान उसी दिन या अगले दिन एनईएफटी के माध्यम से करेगा।

3.6 ब्रिकेटों का वज़न बैंक के किसी अधिकारी की उपस्थिति में उपयुक्त तरीके से किया जाएगा।

3.7 ब्रिकेटों का निपटान/उपयोग पर्यावरण-अनुकूल तरीके से किया जाएगा, और ठेकेदार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र/वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3.8 (i) "बैंकनोट पेपर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों, जैसे कि सिक्योरिटी थ्रेड और फाइबर, सिक्योरिटी इंक और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले दूसरे केमिकल्स के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए, और खराब हो चुके नोटों को निपटान करने के मामले में सस्टेनेबिलिटी वैल्यू चेन को बेहतर

बनाने के मकसद से, रिज़र्व बैंक नोट श्रेडों/ब्रिकेटों का निपटान करने के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों की तलाश कर रहा है।

(iii) ऐसा ही एक टिकाऊ विकल्प यह है कि खराब हो चुके बैंक नोट श्रेडों का दोबारा इस्तेमाल करके कुछ लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें बनाई जाएं, जैसे कि बोर्ड पैनल, इंटीरियर डिज़ाइन का सामान, पार्टिकल बोर्ड फ़र्नीचर और अकूस्टिक एप्लीकेशन।

(iv) इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने 'पार्टिकल बोर्ड बनाने में लकड़ी के टुकड़ों की जगह बैंक नोट ब्रिकेटों के इस्तेमाल की उपयुक्तता का मूल्यांकन' नाम से एक अध्ययन करवाया था। यह अध्ययन 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी' (आईडबल्यूएसटी) ने किया था, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। इस अध्ययन से यह साबित हुआ कि करेंसी ब्रिकेटों के टुकड़ों का एक निश्चित प्रतिशत इस्तेमाल करके बनाए गए पार्टिकल बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड के लिए तय की गई तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे।

(v) चूंकि ऊपर दिए गए अध्ययन से यह साबित हो गया है कि पार्टिकल बोर्ड बनाने के लिए ज़रूरी कच्चे माल की कमी को पूरा करने में बैंक नोट श्रेडों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों का पर्यावरण के अनुकूल इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है, इसलिए "पार्टिकल बोर्ड बनाने वाली कंपनियों" को भी इन ब्रिकेटों को खरीदने/ले जाने के लिए संभावित बोली लगाने वालों के तौर पर माना जाएगा, ताकि वे इन ब्रिकेटों का इस्तेमाल पार्टिकल बोर्ड बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर कर सकें।"

3.9 ब्रिकेटों को उनके गंतव्य तक पहुँचाते समय, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ब्रिकेट रास्ते में न गिरे, और न ही वे किसी गलत या अनचाहे व्यक्ति के कब्ज़े में जाएँ। यदि ठेकेदार स्वयं इन ब्रिकेटों के अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो उन्हें अंतिम उपयोगकर्ताओं के नाम और पते भी उपलब्ध कराने होंगे।

3.10 बैंक द्वारा श्रेडेड नोटों की ब्रिकेटों/श्रेडों के निपटान पर केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स/वैट, ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

3.11 ठेकेदार, बैंक को किसी भी ऐसे नुकसान या हानि की भरपाई करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा और उसे वापस चुकाएगा, जो सामान को ले जाने में किसी भी अक्षमता, अयोग्यता, लापरवाही, दोष या देरी के कारण हुई हो; या उसकी ओर से, अथवा उसके द्वारा काम पर रखे गए कर्मचारियों की ओर से किसी भी बेईमानी या धोखाधड़ी वाले आचरण के कारण हुई हो। बैंक द्वारा ऐसे नुकसान का आकलन अंतिम माना जाएगा, और ठेकेदार को उचित सूचना देने के बाद, उसे उस नुकसान की भरपाई करनी होगी।

3.12 यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी/साझेदार/सहयोगी आदि, जो इस अनुबंध के उद्देश्यों के लिए या किसी अन्य कारण से बैंक परिसर में आकर काम करता है, वह स्वयं को भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा; साथ ही, वह अनुबंध की अवधि के दौरान या उसके बाद, बैंक परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अनधिकृत उद्देश्य के लिए उसे जारी किए गए सुरक्षा पास/पहचान पत्र का दुरुपयोग नहीं करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों/श्रमिकों को इस पहलू के बारे में जानकारी देगा, और यदि इस शर्त के उल्लंघन के कारण बैंक को कोई नुकसान होता है, तो ठेकेदार बैंक को उस नुकसान की भरपाई करेगा।

3.13 अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष की होगी, जो कार्य सौंपे जाने की तारीख से शुरू होगी, और इसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है; इसे एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बैंक अपनी मर्जी से और ठेकेदार की सहमति से इसे बढ़ा सकता है, बशर्ते बैंक की राय में अनुबंध का निष्पादन संतोषजनक रहा हो।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता _____ मुहर

गवाह

1. हस्ताक्षर:

   नाम:

   पता:

2. हस्ताक्षर:

   नाम:

   पता:

खंड IV
भाग-I-तकनीकी बोली

बिड फॉर्म

(नोट- ई-निविदा पोर्टल पर भरकर अपलोड करना है)

क्रम सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी		
1.	निविदाकर्ता का नाम			
2.	क्या निविदाकर्ता कोई कंपनी, साझेदारी फर्म अथवा एकल स्वामित्व वाली संस्था है।			
3.	उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम, जो अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अधिकृत हैं।			
4.	कंपनी/पार्टनरशिप/फर्म/प्रोप्राइटरशिप संगठन का रजिस्टर्ड पता और संपर्क पता			
5.	टेलीफोन नंबर	कार्यालय	आवास	मोबाइल
6.	ईमेल आईडी			
7.	फ़ैक्स नंबर			
8.	एनसीटी दिल्ली के भीतर निविदाकर्ता के कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का पता			

9.	इसी तरह के काम करने का अनुभव (वर्ष की संख्या) (ग्राहक प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा)	
10.	बैंक खाता विवरण:- बैंक का नाम शाखा का पता खाते का प्रकार खाता संख्या आईएफएससी कोड	
11.	परमानेंट अकाउंट नंबर (संलग्न किया जाना है)	
12.	जीएसटीआईएन (संलग्न किया जाना है)	

13. उन संस्थानों का विवरण जिनके साथ निविदाकर्ता ने इसी प्रकार के अनुबंध किए हैं (इसके समर्थन में दस्तावेज़/प्रमाण पत्र संलग्न किए जाएं)

क्रम सं.	**संस्था का नाम**	**पता और टेलीफोन नंबर (संबंधित दस्तावेज़ जमा करें)**	**अनुबंध की अवधि**	**संस्था में किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य**

14.(क) क्या 27 अप्रैल, 2026 (यानी बोली जमा करने के पहले दिन) तक निविदाकर्ता को आरबीआई, राज्य/केंद्र सरकार के किसी विभाग, या निजी संस्थानों द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है? - हाँ / नहीं

(ख**)** क्या फर्म या उसके निदेशक/निदेशकों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है**? -** हाँ / नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट में संलग्न करें)

15. क्या अनुबंध के नियम और शर्तें निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं?

- हां/नहीं

यदि हाँ, तो इस निविदा दस्तावेज़ के खंड-II और खंड III में दी गई अनुबंध की शर्तों और नियमों की एक प्रति, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, निविदा के साथ जमा की जानी चाहिए।

16. एनईएफटी के माध्यम से जमा की गई बयाना राशि का विवरण

एनईएफटी विवरण: आईएफएस कोड - RBIS0NDPA01 (दोनों जगहों पर '0' का मतलब शून्य है)
खाता संख्या - 06869229999 (अर्नेस्ट मनी डिबॉजिट रीसीव्ड अकाउंट)

क. खाता: .....
ख. लेन-देन संख्या. .....
ग. दिनांक: .....
घ. जारीकर्ता: बैंक शाखा का नाम/पता:.....

17. घोषणा

क. मेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी, मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, पूर्णतः सत्य और सही है; और यदि इनमें से कोई भी जानकारी बाद में गलत/असत्य सिद्ध होती है, तो बैंक, अपनी दृष्टि में उचित समझे जाने वाली कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

ख. मैं/हम समझते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी चरण पर गलत/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो हमारी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है, और इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।

कंपनी/साझेदारी/फर्म/स्वामित्व संस्था के अधिकृत अधिकारी का नाम:

हस्ताक्षर (कंपनी/साझेदारी/फर्म/स्वामित्व संस्था की मुहर सहित):

दिनांक:
गवाह**:**

1. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

2. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

खंड V
करार की ड्राफ्ट शर्तें
(सफल निविदाकर्ता के साथ निष्पादित किया जाना है)

एक पक्ष के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक निगमित निकाय है, जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा, और जिसका प्रतिनिधित्व महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है (इस अभिव्यक्ति में उनके पद के उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे); और दूसरे पक्ष के रूप में..... (ठेकेदार का नाम), जो मेसर्स..... के एकमात्र प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक के रूप में व्यवसाय कर रहे हैं, और जिनका मुख्य व्यावसायिक स्थान.....में स्थित है, जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा (इस अभिव्यक्ति में उनके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे) के बीच यह करार, नई दिल्ली में .....के .....माह के.....दिन निष्पादित किया गया।

चूंकि, ठेकेदार ने कार्य सौंपे जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक.....(दोनों दिन शामिल) के निविदा में निर्दिष्ट दरों और शर्तों पर, तथा उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों के अनुसार, श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के निपटान हेतु निविदा प्रस्तुत की है।

और चूंकि, बैंक ने उक्त निविदा स्वीकार कर लिया है और पक्षों के बीच यह करार निष्पादित करने पर सहमति बन गई है।

अब यह आपसी सहमति से तय किया जाता है और इस प्रकार घोषित किया जाता है:

1. ठेकेदार को उन मज़दूरों की एक सूची जमा करनी होगी, जिनकी संख्या 19 (उन्नीस) से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए; इन मज़दूरों को वह ब्रिकेटों उठाने के काम के लिए रखेगा। ठेकेदार को इन मज़दूरों के पूरे नाम और पते के साथ-साथ उनकी हाल की पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें भी देनी होंगी। ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुबंध शुरू होने से पहले, अपने द्वारा रखे गए सभी मज़दूरों के पिछले रिकॉर्ड और चरित्र की पुलिस से जाँच करवाए। यदि ठेकेदार द्वारा रखे गए मज़दूरों की संख्या 19 (उन्नीस) से ज़्यादा होती है, तो इसके सभी परिणामों के लिए ठेकेदार ही ज़िम्मेदार होगा।
2. ठेकेदार बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में निर्धारित स्थान से ब्रिकेटों/श्रेडों को नियमित रूप से प्रतिदिन उठाएगा, उस जगह की सफाई करेगा और वहाँ किसी भी तरह का जमाव नहीं होने देगा।

ठेकेदार अपने खर्च पर पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेगा। ये बोरे अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए और प्रत्येक बोरे में 50 किलोग्राम ब्रिकेट उठाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए। निविदा दस्तावेज़ के खंड III के पैरा 3.1 से पैरा 3.13 में बताया गया कार्य का दायरा, इस करार का एक अभिन्न अंग माना जाएगा।

3. ठेकेदार को परिवहन की व्यवस्था अपने खर्च पर करनी होगी। परिवहन के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों का बीमा होना चाहिए, उनके सभी करों का भुगतान किया गया होना चाहिए और उनके पास वैध परमिट होने चाहिए। तैनात किए गए ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ट्रैफ़िक कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाना होगा। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी। ड्राइवरों/सहायकों के पूर्ववृत्तों का पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है। काम पर लगाए गए सभी मज़दूरों का पुलिस सत्यापन करवाना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी, और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा बैंक को सौंपी जाएगी।

4. ठेकेदार, कार्य सौंपे जाने के 7 दिनों के भीतर, भारतीय रिज़र्व बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में xx राशि जमा करेगा। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, इस करार को रद्द कर दे। यदि ठेकेदार इस करार के तहत अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है, या किसी भी सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, या इस करार के किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन करता है, तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। यदि ठेकेदार प्रतिदिन ब्रिकेटों उठाने में विफल रहता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उन ब्रिकेटों/श्रेडों का निपटान उस तरीके से करे जिसे वह उचित समझे, और इस अनुबंध को रद्द कर दे; इसमें अनुबंध का पालन न करने के कारण ठेकेदार की सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, यदि ठेकेदार प्रतिदिन के आधार पर ब्रिकेटों उठाने में विफल रहता है, तो बैंक 'लिक्विडेटेड डैमेजे' के रूप में **प्रतिदिन 5000/- रुपये का जुर्माना** भी लगा सकता है।

6. यदि ठेकेदार, श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के निपटान के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करने में देरी करता है, या अनुबंध के निर्देशों का कोई ऐसा उल्लंघन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के निर्गम विभाग के महाप्रबंधक द्वारा गंभीर प्रकृति का माना जाता

है, तो उक्त महाप्रबंधक, नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के परामर्श से और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से, ठेकेदार पर प्रत्येक घटना के लिए 'निर्धारित क्षतिपूर्ति' के रूप में जुर्माना लगा सकते हैं और यह जुर्माना 10,000 रुपये (केवल दस हज़ार रुपये) से अधिक नहीं होगा।

7. ठेकेदार, बैंक से प्राप्त और ले जाए गए ब्रिकेटों/श्रेडों के लिए, उसी दिन या अगले दिन एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करेगा।

8. ब्रिकेटों का वज़न बैंक के किसी अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। ब्रिकेटों का निपटान/उपयोग पर्यावरण-अनुकूल तरीके से किया जाएगा, और ठेकेदार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. ब्रिकेटों को उनके गंतव्य तक पहुँचाते समय, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ब्रिकेट रास्ते में न गिरे और न ही किसी गलत या अनचाहे व्यक्ति के कब्ज़े में जाए। यदि ठेकेदार स्वयं इन ब्रिकेटों के अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो उन्हें अंतिम उपयोगकर्ताओं के नाम और पते भी उपलब्ध कराने होंगे।

10. बैंक द्वारा श्रेडेड नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के निपटान पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाया गया कोई भी कर/वैट/जीएसटी, ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

11. ठेकेदार, बैंक को किसी भी ऐसे नुकसान या हानि की भरपाई करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा और उसे वापस चुकाएगा, जो सामान को ले जाने में किसी भी अक्षमता, अयोग्यता, लापरवाही, दोष या देरी के कारण हुई हो; या जो उसकी ओर से, अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की ओर से किसी भी बेईमानी या धोखाधड़ी वाले आचरण के कारण हुई हो। बैंक द्वारा ऐसे नुकसान का आकलन अंतिम माना जाएगा, और ठेकेदार को उचित सूचना देने के बाद, उसे उस नुकसान की भरपाई करनी होगी।

12. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी/वर्कर/पार्टनर/एसोसिएट आदि, जो इस अनुबंध के उद्देश्यों के लिए या किसी अन्य कारण से बैंक परिसर में आकर काम करता है, वह भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा; न ही वह अनुबंध की अवधि के दौरान या उसके बाद, बैंक परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अनधिकृत उद्देश्य के लिए उसे जारी किए गए सुरक्षा पास/पहचान पत्र का दुरुपयोग करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों/वर्करों को इस पहलू के बारे में जानकारी देगा और यदि इस शर्त के उल्लंघन के कारण बैंक को कोई नुकसान होता है, तो

वह बैंक को उसकी भरपाई करेगा।

13. अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष की होगी, जो कार्य सौंपे जाने की तारीख से शुरू होगी; बैंक अपनी मर्जी से और ठेकेदार की सहमति से, इस अवधि को आगे दो वर्षों तक बढ़ा सकता है (एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए), बशर्ते बैंक की राय में अनुबंध का निष्पादन संतोषजनक रहा हो।

14. यदि इस बात पर कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इसके अंतर्गत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

15. यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में, या उससे उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्षों को सद्भावनापूर्वक और आपसी चर्चा के माध्यम से, 30 दिनों की अवधि के भीतर इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए; यह अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।

16. यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण करार नहीं हो पाता है, तो विवाद को मध्यस्थता या सुलह के लिए भेजा जाएगा और अंततः 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996' (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार इसका समाधान किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996' (समय-समय पर संशोधित) की धारा 29बी में निर्धारित 'फास्ट ट्रैक प्रक्रिया' के माध्यम से संचालित की जाएगी। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

17. यह करार दिल्ली स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। यह करार भारत के कानूनों द्वारा शासित है।

18. (क) ठेकेदार, " महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक परिसर के भीतर अपने किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत मिलने पर, वह शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित "आंतरिक शिकायत समिति" के समक्ष दर्ज की जाएगी, और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त अधिनियम के तहत उस शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।

ख) ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की ओर से बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान, बैंक द्वारा गठित 'क्षेत्रीय शिकायत समिति' द्वारा लिया जाएगा। बैंक के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की ओर से ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान, बैंक द्वारा गठित 'क्षेत्रीय शिकायत समिति' द्वारा लिया जाएगा।

ग) ठेकेदार किसी भी ऐसे मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसकी आवश्यकता उस स्थिति में पड़ सकती है जब घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों; उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली कोई भी मौद्रिक राहत।

घ) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

19. ठेकेदार को 'मजदूरी संहिता, 2019', 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020' के सभी प्रावधानों, और/या लागू होने वाले किसी भी अन्य अधिनियम/कानून का पालन करना होगा। यदि किसी वैधानिक भुगतान का पालन न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो बैंक के पास अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहते हुए भी, वह राशि बिल में से काट ली जाएगी।

20. ठेकेदार, बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/उपकरण आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के कब्ज़े या जानकारी में आ सकती है, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, और हर समय उसे पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जहाँ तक इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा, और न ही उसका खुलासा करेगा। ठेकेदार, किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा, और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा कानूनी उपचार अपनाने का हकदार

होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से पूरा हो। ठेकेदार के, जानकारी का खुलासा न करने और गोपनीयता से संबंधित दायित्व, इस करार की समाप्ति या रद्द होने के बाद भी (चाहे किसी भी कारण से हो) बने रहेंगे।

21. दिनांक ...../निविदा संख्या ..... की निविदा सूचना में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें, तथा इसके बाद जारी किए गए कोई भी शुद्धिपत्र (यदि कोई हों), इस अनुबंध का अभिन्न अंग माने और समझे जाएंगे; और इसमें शामिल पक्ष उन उल्लिखित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा स्वयं को उनके अधीन रखेंगे।

22. इसके साक्ष्य स्वरूप, इसमें शामिल पक्षों ने, ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष को, इस दस्तावेज़ पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने दिनांक ..... के निविदा के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, तथा साथ ही करार की विषय-वस्तु को भी पढ़ लिया है और उन्हें स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर _____

पता _____

मुहर

स्थान:

दिनांक:

गवाह:

1. हस्ताक्षर:

   नाम:

   पता:

2. हस्ताक्षर

   नाम:

   पता

अनुसूची ए

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट

क्रम सं.	विवरण	बोली लगाने वाले की पुष्टि
1.	विधिवत हस्ताक्षरित निविदा भाग-I (अनुभाग I से VI) और भाग-II	
2.	विधिवत भरी हुई अनुसूची ए, बी, सी, डी, ई, एफ	
3.	भुगतान की गई ईएमडी का दस्तावेज़ी प्रमाण (एनईएफटी लेन-देन की स्कैन की गई प्रति) संलग्न किया जाना है	
4.	पैन (अनिवार्य) और जीएसटी पंजीकरण (अनिवार्य) की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी	
5.	बैंक स्टेटमेंट / पासबुक के पहले पृष्ठ की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी	
6.	पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी	
7.	अनुलग्नक III	
8.	पिछले 3 वर्षों के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण और आईटीआर	
9.	कार्य आदेश और ग्राहक प्रमाणपत्र	

अनुसूची बी:

संगठनात्मक विवरण

<table>
<tr><td colspan="3">निविदाकर्ता का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">चाहे एकल स्वामित्व हो, साझेदारी हो या लिमिटेड कंपनी</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">साझेदारी / लिमिटेड कंपनी के गठन की तिथि</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">डाक पता</td><td colspan="2">स्थानीय
पता</td><td colspan="3">स्थायी / पंजीकृत कार्यालय का पता</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>पिन कोड</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड सहित)</td><td>कार्यालय</td><td>आवास</td><td>फैक्स</td><td colspan="2">मोबाइल</td></tr>
<tr><td>ई-मेल</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

स्थान:

दिनांक:

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची सी
पंजीकरण विवरण

क्रम सं.	पंजीकरण का प्रकार	ीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि
1	आयकर – पैन		
2	आयकर – टैन (टीडीएस के लिए)		
3	जीएसटी नंबर		
4	शॉप ऐण्ड कॉमर्शियल एस्टैबलिशमेंट ऐक्ट		
5	पीएफ/ईपीएफ		
6	किसी अन्य प्रकार का पंजीकरण		
7	क्या आपकी फर्म पर ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), केंद्रीय नियम, 1971 और किसी अन्य कानूनी प्रावधान के उपबंध लागू होते हैं?		
8	क्या आपके पास ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970/71 की धारा 12(1) के तहत कोई लाइसेंस है? यदि हाँ, तो कृपया लाइसेंस संख्या आदि का विवरण प्रदान करें।		
9	ईएसआईसी पंजीकरण विवरण		

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है।
स्थान:

दिनांक:

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची डी
ग्राहकों की सूची
(जिनके लिए पिछले 5 वर्षों में इसी तरह का काम किया गया था)

क्रम सं.	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1.	नाम			
2.	पता			
3.	ई-मेल			
4.	संपर्क नंबर			
5.	कार्य का संक्षिप्त विवरण			
6.	अनुबंध प्रदान करने की तिथि (कृपया अनुबंध प्रदान करने का पत्र संलग्न करें)			
7.	ग्राहक से प्रमाण-पत्र (खंड V के "अनुलग्नक" के अनुसार संलग्न किया जाना है)			

स्थान:

दिनांक:

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची ई
बैंकर(रों) का विवरण

क्रम सं.	**विवरण**	**ब्यौरा**
1.	पता	
2.	संपर्क व्यक्ति	
3.	ई-मेल आईडी	
4.	टेलीफोन नंबर	
5.	फैक्स नंबर	

स्थान**:**

दिनांक**:**

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

फॉर्मेट 1: सामान्य जानकारी

क)	कंपनी/फर्म का नाम	
ख)	फर्म के पंजीकरण का विवरण: क्या यह एकल स्वामित्व / साझेदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड या सहकारी संस्था आदि है	
ग)	कंपनी के प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशकों का नाम और पता	
घ)	कंपनी/फर्म का पंजीकृत पता	
ङ)	पत्राचार के लिए पता	
च)	संपर्क व्यक्ति	
छ)	पदनाम	
ज)	मोबाइल नंबर	
झ)	फ़ैक्स/टेली-फ़ैक्स	
ञ)	ई-मेल आईडी	
ट)	जीएसटी पंजीकरण विवरण और नंबर	
ठ)	श्रम लाइसेंस विवरण	
ड)	ईपीएफओ पंजीकरण नंबर	
ढ)	ईएसआईसी पंजीकरण नंबर	
ण)	यदि कंपनी एक सहायक कंपनी है, तो बैंक के प्रस्तावित कार्य में मूल कंपनी की (यदि कोई हो) संलिप्तता।	
त)	क्या बिडर को कभी काम शुरू होने के बाद लगातार छह महीने से ज़्यादा समय तक काम रोकना पड़ा? अगर हाँ, तो इसकी वजह बताएँ।	
थ)	क्या बिडर या पार्टनरशिप फर्म के मामले में किसी पार्टनर ने कभी दिए गए काम को पूरा होने से पहले छोड़ दिया है? अगर हाँ, तो काम का नाम और छोड़ने का कारण बताएँ।	

द)	बिडर द्वारा बिड सबमिट किए जाने की तारीख तक, क्या बिडर या पार्टनरशिप फर्म के मामले में किसी भी पार्टनर को पिछले तीन सालों में किसी भी संगठन में प्रतिस्पर्धा करने से डिबार/ब्लैक-लिस्ट किया गया है, यदि हाँ, तो विवरण दें।	
ध)	क्या बोली लगाने वाले, अथवा साझेदारी फर्म के मामले में किसी भागीदार को, कभी दोषी ठहराया गया है?	
न)	क्या बोली लगाने वाला वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों के संबंध में बार-बार होने वाले दीवानी मुकदमों/विवादों में शामिल है? यदि हाँ, तो कृपया इसका विवरण प्रदान करें।	

क्रम सं.	कार्य का नाम और नियोक्ता	काम की प्रकृति	कार्य आदेश संख्या और दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	अनुबंध का मूल्य	मुकदमेबाजी का संक्षिप्त विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

फॉर्मेट 2: पिछला कार्य अनुभव

बोलीदाता / फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण एवं समान कार्यों की सूची; यह अवधि उस महीने के पिछले महीने के अंतिम दिन तक की होनी चाहिए, जिस महीने में निविदा आमंत्रित की गई है।

क्रम सं.	समान कार्य का नाम और स्थान	अनुबंध में शामिल कार्य की प्रकृति (संक्षिप्त विवरण)	ग्राहक का नाम, यह भी बताएँ कि वह सरकारी है या अर्ध-सरकारी या निजी संस्था, साथ ही पूरा डाक पता भी बताएँ..	काम की लागत		पूरा होने की अवधि			देरी का कारण, यदि कोई हो	क्या काम अधूरा छोड़ दिया गया था, या किसी भी पक्ष से अनुबंध समाप्त कर दिया गया था?	मुकदमेबाजी/मध्यस्थता, यदि कोई हो, विवरण सहित	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी.
				अनुबंध राशि (₹ लाख)	किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य (₹ लाख में)	कार्य शुरू करने की तारीख	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि				
1.	2.	3.	4.	5 ए	5बी	6ए	6बी	6सी	7	8	9	10

सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें।

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

फॉर्मेट 3 अर्हता दर्शाने वाले कार्य

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे किए गए (पात्रता-संबंधी) इसी तरह के कार्यों का विवरण, जिसकी अवधि उस महीने से ठीक पहले वाले महीने के अंतिम दिन समाप्त होती हो, जिस महीने में निविदा आमंत्रित की गई है।

क्रम सं.	समान कार्य का नाम और स्थान	अनुबंध में शामिल कार्य की प्रकृति (संक्षिप्त विवरण)	ग्राहक का नाम, यह भी बताएँ कि वह सरकारी है या अर्ध-सरकारी या निजी संस्था, साथ ही पूरा डाक पता भी बताएँ.	संपर्क अधिकारी (निविदाकर्ता के ग्राहक का वह व्यक्ति जिससे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सके) का नाम, ईमेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर	कार्य की लागत		पूरा होने की अवधि			देरी का कारण, यदि कोई हो	क्या काम अधूरा छोड़ दिया गया था, या किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया था?	मुकदमेबाजी/मध्यस्थता, यदि कोई हो, विवरण सहित	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी.
					अनुबंध राशि (₹ लाख)	किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य (₹ लाख में)	कार्य शुरू करने की तारीख	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि				
1.	2.	3.	4.	5.	6 ए	6बी	7ए	7बी	7सी	8	9	10	11

(पात्रता मानदंड में निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य के बराबर या उससे अधिक लागत वाले कार्य)

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

फॉर्मेट 3ए: ग्राहक के ठेकेदार के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण-पत्र
(ग्राहक के लेटर हेड पर)

ग्राहक का नाम और पता :
श्री / मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण :

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	
1	कार्य का संक्षिप्त विवरण	
2	करार संख्या और दिनांक	
3	करार की राशि	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	देरी के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि बताएं), यदि कोई हो	
8	पूरे किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि	
9	उस प्राधिकारी का नाम और पता, जिसके अधीन कार्य निष्पादित किए गए	
10	क्या ठेकेदार ने कार्य निष्पादन के दौरान योग्य .....कर्मचारी/पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे?	
11	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएँ)	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो।	
12	(i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया?	
	(ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि	
	(iii) कुल स्वीकृत राशि	
13	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ	
	क) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ख) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ग) पर्याप्त टी एण्ड पी की व्यवस्था	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ङ) मानवशक्ति की व्यवस्था	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ङ) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / संतोषजनक / खराब
	च) बिक्री के बाद की सेवा	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / संतोषजनक / खराब

दिनांक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

फॉर्मेट 4: वित्तीय स्थिति

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष		
		1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक **₹ लाख में**	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक **₹ लाख में**	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक **₹ लाख में**
1	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक वित्तीय टर्नओवर			
2	वर्ष के लिए आयकर रिटर्न			

टिप्पणी:

इस विवरण के साथ, निविदा देने वाले के व्यवसाय के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों/खातों की प्रतियां संलग्न होनी चाहिए, जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित हों; साथ ही, वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के आयकर रिटर्न भी संलग्न किए जाने चाहिए।

दिनांक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

फॉर्मेट 5
किसी शेड्यूल्ड बैंक से सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र

संदर्भ सं.:..... दिनांक:

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
.....विभाग, 6, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, मेसर्स.....(बोली लगाने वाले का नाम और पूरा पता), जिसका पता यहां पर अंकित है और जो हमारे बैंक का ग्राहक है, एक प्रतिष्ठित संस्था/व्यक्ति है और उसे ₹.....(रुपये) की सीमा तक किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए विश्वसनीय माना जा सकता है।

यह प्रमाण पत्र ग्राहक के विशेष अनुरोध पर जारी किया गया है।

बैंक की ओर से (नाम, पदनाम और मुहर सहित)

नोट:

1. बैंकरों के प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होने चाहिए, और ये क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ... विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित होने चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।
3. सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र की तारीख निविदा जारी होने की तारीख से पहले की नहीं होनी चाहिए, और यह विशेष रूप से इसी कार्य के लिए जारी किया गया होना चाहिए।

फॉर्मेट 5ए: बोलीदाता के बैंकर का विवरण

1	बैंकर का नाम और पूरा पता	
2	संपर्क अधिकारियों के नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर (लैंडलाइन और मोबाइल), फैक्स नंबर आदि	
3	खाते का प्रकार और खाता संख्या	
4	वह अवधि, जिस दौरान सेवा प्रदाता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है	
5	कोई भी अन्य जानकारी, जो सेवा प्रदाता अपने बैंकरों के बारे में देना चाहे	
6	शाखा का आईएफएससी कोड	

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

<u>अनुलग्नक I</u>

ई-भुगतान करने हेतु एनईएफटी विवरण

संस्था का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली

पता (पूरा): 6 संसद मार्ग, आरबीआई नई दिल्ली 110001

1	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दर्ज है)	भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली
2	खाता नंबर	06869229999
3	खाते का प्रकार (बचत, चालू, आदि)	चालू
4	पैन नंबर	AAIFR5286M
5	बैंक का नाम	आरबीआई, नई दिल्ली
6	शाखा का नाम	आरबीआई, नई दिल्ली
7	बैंक का पता	आरबीआई, नई दिल्ली
8	एनईएफटी/आईएफएस कोड	RBIS0NDPA01 (कोड में 0, जीरो को दर्शाता है)
9	खाते का नाम	आरबीआई, एनईएफटी, इन्वर्ड रिसिव्ड
10	जीएसटीआईएन	07AAIFR5286M1ZI

<u>अनुलग्नक II</u>

सिक्योरिटी डिपॉजिट हेतु बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम से खरीदे गए सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा करना है)

नं. _____ दिनांक _____

सेवा में:
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001

महोदय

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप ---------- की सिक्योरिटी डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए सहमत हैं-जो कार्य सौंपे जाने के 7 दिनों के भीतर आपके द्वारा (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली से श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को उठाने और उनका निपटान करने के लिए आपके साथ हुए अनुबंध के तहत जमा की जानी है; और जो आपके दिनांक..... के निविदा, अनुबंध की शर्तों और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेज़ों के अनुसार है; तथा जो आपके दिनांक..... अनुबंध में निर्धारित या संदर्भित, आपसी सहमति से तय की गई शर्तों और संशोधनों के अधीन है; और जो नीचे बताए गए तरीके से हमारी ओर से गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, हम ..... (बैंक का नाम) इसके द्वारा आपके साथ निम्नलिखित रूप से अनुबंध और सहमति व्यक्त करते हैं:

1. हम आपको किसी भी नुकसान या क्षति से बचाने और समय-समय पर आपको क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं। यह नुकसान या क्षति आपको ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में दी गई किसी भी शर्त या शर्तों के उल्लंघन के कारण हो सकती है, या आपको सहनी पड़ सकती है। इसके अलावा, यदि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत कोई भी काम करने में कोई चूक करता है, या उससे संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने और उसे पूरा करने में (उनके सही अर्थ और आशय के अनुसार) कोई चूक करता है, तो हम आपकी मांग पर तुरंत आपको एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। यह राशि कुल मिलाकर ---------- ---- से अधिक नहीं होगी, और यह वह राशि होगी जिसे आप ठेकेदार की इस चूक के कारण हुए अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या खर्चों के रूप में दावा कर सकते हैं।
2. हम आपको किसी भी नुकसान या क्षति से बचाने और समय-समय पर आपको क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं। यह नुकसान या क्षति आपको ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में दी गई किसी भी शर्त या शर्तों के उल्लंघन के कारण हो सकती है, या आपको सहनी पड़ सकती है। इसके अलावा, यदि

ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत कोई भी काम करने में कोई चूक करता है, या उससे संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने और उसे पूरा करने में (उनके सही अर्थ और आशय के अनुसार) कोई चूक करता है, तो हम आपकी मांग पर तुरंत आपको एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। यह राशि कुल मिलाकर ----------से अधिक नहीं होगी, और यह वह राशि होगी जिसे आप ठेकेदार की इस चूक के कारण हुए अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या खर्चों के रूप में दावा कर सकते हैं।

3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और मान्य मानी जाएगी, जब तक कि आप, संबंधित गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा करने तथा कार्य के विधिवत पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "कोई मांग नहीं प्रमाण पत्र" जमा करने के बाद, ठेकेदार के आवेदन पर इसे मुक्त नहीं कर देते। बशर्ते कि, यह गारंटी किसी भी स्थिति में ..... के बाद लागू नहीं रहेगी; हालाँकि, उक्त तिथि से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले, आपके जो भी दावे उत्पन्न हुए हों, जिनकी मांग की गई हो, या जिनके बारे में हमें लिखित रूप में सूचित किया गया हो, उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे दावे हमारे विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे, भले ही उन्हें उक्त तिथि के बाद ही क्यों न लागू किया जाए।

4. यदि किसी भी कारणवश इस गारंटी की अवधि बढ़ाना आवश्यक हो जाता है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को तब तक बढ़ाने का वचन देते हैं, जब तक आपको इसकी आवश्यकता हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम होगा और हम पर बाध्यकारी होगा।

5. आपको इस गारंटी पर कोई असर डाले बिना, समय-समय पर उक्त अनुबंध की किसी भी शर्त या नियम को बदलने, या ठेकेदार के काम पूरा करने का समय बढ़ाने, या ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर टालने, और उक्त अनुबंध की किसी भी शर्त या नियम को लागू करने या लागू न करने की पूरी आज़ादी होगी। और ऊपर बताई गई बातों के संबंध में आपकी इस आज़ादी का इस्तेमाल करने से, या ठेकेदार को कोई समय देने से, या आपकी ओर से किसी अन्य छूट, काम या चूक से, या ठेकेदार के प्रति आपकी किसी भी रियायत से, या उक्त अनुबंध में किसी भी बदलाव या संशोधन से, या किसी भी अन्य काम, मामले या चीज़ से—जो जमानतदारों से संबंधित कानून के तहत, अगर यहाँ के प्रावधान न होते, तो हमें इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से मुक्त कर देता—हमें इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि यहाँ दी गई कोई भी बात, इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को ऊपर बताई गई ---------- की सीमा से आगे नहीं बढ़ाएगी।

6. इस गारंटी पर, ठेकेदार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई सिक्युरिटी लेने, उसमें बदलाव करने या उसे छोड़ देने का; अथवा ठेकेदार के समापन, विघटन, दिवालिया होने या मृत्यु (जैसा भी मामला हो) का, किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. इसमें दी गई गारंटी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, आपको इस तरह से काम करने का अधिकार होगा, मानो ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में—जिनकी गारंटी हमने ऊपर बताई गई रीति से दी है—हम ही आपके मुख्य देनदार हों; और हम इसके द्वारा अपनी ज़मानत-संबंधी सभी अधिकारों तथा अन्य अधिकारों (यदि कोई हों) को स्पष्ट रूप से त्यागते हैं, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के विपरीत हों।

8. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी देनदारी की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, यह गारंटी ठेकेदार के विरुद्ध आपके उन सभी दावों को कवर करेगी जो समय-समय पर उक्त अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उससे संबंधित हैं, और जिनके संबंध में आपका लिखित दावा, इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले, हमारे पास दर्ज कराया जाता है।

9. इस दस्तावेज़ के तहत, किसी भी मांग या अन्य तरीके से कोई भी नोटिस, हमारे ऊपर बताए गए स्थानीय पते पर विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सकता है; और यदि इसे डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह माना जाएगा कि नोटिस उस समय दे दिया गया है, जब उसे डाक में डाल दिया गया हो।

10. यह गारंटी, और इसमें शामिल अधिकार और प्रावधान, हमारी ओर से आपको पहले दी गई किसी भी अन्य गारंटी या गारंटियों (चाहे दूसरों के साथ मिलकर या अकेले) के अतिरिक्त हैं—न कि उनकी कोई सीमा है या उनका कोई विकल्प है—और जो अभी भी रद्द नहीं हुई हैं; साथ ही, इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करना या सीमित करना नहीं है, और न ही यह ऐसा करेगी।

11. इस गारंटी पर ठेकेदार या हमारी संरचना में किसी भी बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा; न ही इस पर आपकी संरचना में किसी बदलाव, या उसके किसी विलय या अधिग्रहण का कोई असर पड़ेगा। इसके विपरीत, यह गारंटी उस कंपनी या संस्था के लाभ के लिए होगी, और वही इसका उपयोग कर सकेगी तथा इसे लागू करवा सकेगी, जिसने दूसरी कंपनी का अधिग्रहण किया हो या जिसके साथ उसका विलय हुआ हो।

12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई भी नरमी, कार्य या चूक, अथवा निविदाकर्ता के प्रति बैंक द्वारा दिखाई गई कोई भी रियायत, जमानतदार को किसी भी तरह

से दायित्व-मुक्त नहीं करेगी; और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्व केवल तभी समाप्त माने जाएंगे, जब बैंक द्वारा जमानतदार को इस आशय की सूचना दी जाएगी।

13. यह गारंटी, अपनी वैधता की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है, और आपकी पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।

14. हम आगे इस बात से सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी मतभेद, विवाद या बहस के मौजूद होने या पैदा होने के बावजूद, आप द्वारा लिखित रूप में मांगी गई राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति के आपको करेंगे।

15. ऊपर कही गई किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी जवाबदेही केवल ..... तक ही सीमित है। जब तक कि गारंटी की अवधि समाप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर (इसमें यदि कोई विस्तार शामिल है, तो उसे भी मिलाकर) इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हमारे पास कोई लिखित दावा दायर नहीं किया जाता है, तब तक इस गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे; और यह माना जाएगा कि हम इसके तहत अपनी सभी जवाबदेहियों से मुक्त और बरी हो गए हैं, भले ही मूल गारंटी हमें वापस लौटाई गई हो या नहीं।

16. हमारे बैंक के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के तहत, हमें आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने का अधिकार है; और बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत, इस गारंटी को निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास है।

हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द किया गया
(उपर्युक्त उल्लिखित बैंक की ओर से और उनके लिए)

की ओर से और उनके लिए
(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक
(बैंकर की मुहर)
पता _____

अनुलग्नक III - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटार्नी का फॉर्मेट

(₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

..... (कार्य का नाम)

हम ..... (बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री/श्रीमती .....(पावर ऑफ़ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे यहाँ कार्यरत हैं और ..... के पद पर आसीन हैं, अपना अटॉर्नी नियुक्त, अधिकृत और गठित करते हैं। वे हमारे नाम से और हमारी ओर से, उपर्युक्त प्रोजेक्ट के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे जुड़ी सभी आवश्यक कार्य, विलेख और चीज़ें करने के लिए अधिकृत हैं; जिसमें सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, भारतीय रिज़र्व बैंक को जानकारी/जवाब देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और सामान्य तौर पर उक्त प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में आरबीआई के साथ सभी मामलों में व्यवहार करना शामिल है।

हम इसके द्वारा इस बात से सहमत हैं कि हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत कानूनी रूप से किए गए सभी कार्य, विलेख और चीज़ों का हम समर्थन करेंगे; और यह कि हमारे उपर्युक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, विलेख और चीज़ें हमेशा हमारे द्वारा ही किए गए माने जाएंगे।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम
बोली लगाने वाले की मुहर/सील
नोट:
पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर उचित रूप से मुहर लगी होनी चाहिए और वह नोटरीकृत होनी चाहिए। बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत की गई पावर ऑफ़ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

अनुलग्नक III ए

भारत के साथ ज़मीनी बॉर्डर शेयर करने वाले देश के बारे में बिडर का वचनपत्र / घोषणा / प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा

(बिडर को अपने लेटर हेड पर सीलबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली, मेन ऑफिस बिल्डिंग में श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों का निपटान,

मैंने/हमने ..... (बोली लगाने वाले के देश का नाम और पता सहित) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं. 6/18/2019- पीपीडी और उसके बाद के जारी आदेशों/संशोधनों की विषयवस्तु को पढ़ और समझ लिया है।

2. मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ कि ..... (बोली लगाने वाले का नाम)

i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से हैं और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हैं, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से हैं जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन प्रदान की हैं, या

iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से हैं जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में संलग्न है।

(उपर्युक्त में से जो लागू न हो उसे काट दें)

3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि ..... (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता/करती है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत विचार किए जाने के योग्य है/हैं। मैं/हम यह भी वचन देता/देते हैं कि ऐसे अनुबंधों के मामले में भी जहाँ हमें बैंक/आरबीआई द्वारा उप-अनुबंध करने की अनुमति है, मैं/हम..... (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश (अर्थात) के किसी ठेकेदार को कोई भी कार्य उप-अनुबंधित नहीं करूँगा/करूँगी, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता/करती।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणन/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना राशि/परफॉर्मेंस बैंक गारंटी / सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें रोकना शामिल है।

मुहर सहित बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक III बी

सार्वजनिक संस्था (संस्थाओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के बारे में वचनपत्र

(बोली लगाने वाले को अपने लेटरहेड पर जमा करना होगा)

<u>कार्य का नाम</u>: उपलब्ध कराना.....

महोदय,

1.....मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करते हूँ कि:

क) मैं/हम, या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म*, या हमारे कोई भी भागीदार/निदेशक, बोली जमा करने की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट नहीं किए गए हैं।

ख) हम, या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म*, या हमारे कोई भी भागीदार/निदेशक, पिछले तीन वर्षों में .....(बोली जमा करने की अंतिम तारीख) तक, भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय के साथ 'सत्यनिष्ठा संहिता' (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग) .....हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम, या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म*, या हमारे कोई भी भागीदार/निदेशक, उपर्युक्त कार्य के लिए कार्य सौंपे जाने से पहले या उस तारीख तक, भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं।

2. मैं/हम .....(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करते हूँ कि मैं/हम, या हमारी संबद्ध फर्म* .....(संबद्ध फर्म/फर्मों का नाम), या हमारे भागीदार/निदेशक ..... (भागीदार/निदेशक का नाम), ...(भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, और यह प्रतिबंध/निलंबन/ब्लैकलिस्टिंग ..... (तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए, ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की सील और हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणाओं में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*संबद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" तब कहा जाएगा जब प्रबंधन कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसके पास कंट्रोलिंग शक्ति हो। इसके अलावा, सभी सक्सेसर फर्मों को भी संबद्ध फर्म माना जाएगा।

अनुलग्नक III सी

बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमे / आर्बिट्रेशन पर वचनपत्र के लिए फॉर्मेट

[बोली लगाने वाले के लेटर हेड पर]

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
.....विभाग, 6, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001

संदर्भ: उपलब्ध कराना.....

महोदय,

1. मैं/हम..... (बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करते हैं कि किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में, किसी भी कारण से, हमारे विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है / न ही की जा रही है।

2. इसके अतिरिक्त, हम ..... यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा निष्पादित किसी भी प्रोजेक्ट में, दीवानी मुकदमों / कानूनी विवादों / मध्यस्थता आदि से संबंधित कोई भी मामला शुरू नहीं किया गया है।

3. इसके अतिरिक्त, हम ..... यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा निष्पादित प्रोजेक्ट में निम्नलिखित दीवानी मुकदमे / कानूनी विवाद / मध्यस्थता के मामले शुरू किए गए थे / हैं:

..... (प्रोजेक्ट का विवरण और कार्रवाई का प्रकार आदि) .....

.....

बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम (रबर स्टैम्प सहित)

दिनांक:

स्थान:

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
नई दिल्ली

भाग- II (मूल्य बोली)

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली से श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को उठाने और उनके निपटान के लिए ई-निविदा

भाग-II (मूल्य बोली)

श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों का निपटान

मद सं.	विवरण	मापन की इकाई	दर रुपये (केवल आईएनआर) में — दो दशमलव स्थानों तक (जीएसटी को छोड़कर)
1	भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के परिसर से श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों को "जैसा है, जहाँ है" आधार पर उठाना और उनका निपटान करना। इस काम में ब्रिकेट को नियमित रूप से इकट्ठा करने/उठाने और उन्हें बोरी में पैक करने के लिए मज़दूर उपलब्ध कराना; अच्छी गुणवत्ता वाली पर्याप्त संख्या में बोरियाँ (जो प्रति बोरी 50 किलोग्राम ब्रिकेट उठाने के लिए उपयुक्त हों) खरीदना; और श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों के परिवहन की व्यवस्था अपने खर्च पर करना शामिल है, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ के भाग-I में बताए गए कार्य के दायरे में निर्धारित किया गया है।	प्रति किलोग्राम	

मूल्य बोली पर टिप्पणियाँ: -

1. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्य/गतिविधियों के स्थल (यानी बैंक परिसर) का दौरा करें और निविदा जमा करने से पहले वहां की स्थितियों से भली-भांति परिचित हो जाएं। इस दौरे का खर्च निविदाकर्ता स्वयं वहन करेगा। यह मान लिया जाएगा कि निविदाकर्ता ने सभी परिसरों का दौरा कर लिया है और निविदा दस्तावेज़ जमा करने से पहले वह वहां की परिचालन और स्थल-संबंधी स्थितियों से पूरी तरह अवगत है।

2. इस भाग में कीमत **केवल भारतीय रुपयों** में ही दी जाएगी, और इसे केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं के लिए खोला जाएगा जो न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनका आरबीआई के अन्य कार्यालयों या अन्य संगठनों में इसी तरह की सेवाएं प्रदान करने का ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है।

यदि निविदा के किसी भी भाग में नियमों और शर्तों में कोई बदलाव या तकनीकी विचलन पाया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी निविदा को अमान्य माना जाएगा। भाग-II को खोलने की तिथि और समय की सूचना, निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल के माध्यम से अलग से दी जाएगी।

3. दरें **केवल भारतीय रुपयों** में ही बताई जानी चाहिए। भाग II निविदा खुलने के बाद, दरों या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. बताई गई दरें पूरे अनुबंध की अवधि तक स्थिर और बाध्यकारी रहेंगी, और उनमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

5. यदि बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ के संबंध में दर और राशि मेल नहीं खाती है, तो केवल कोट की गई दरों के आधार पर निकाली गई राशि ही स्वीकार्य होगी; और यदि मूल तथा डुप्लीकेट प्रतियों में दरों में कोई अंतर पाया जाता है, तो उस मद की कुल राशि निकालने के लिए दोनों में से जो भी दर अधिक होगी, उसे ही आधार माना जाएगा।

6. उद्धृत दरों की वैधता, निविदाओं के भाग-I के खुलने की तिथि से 3 माह होगी।

7. ठेकेदार द्वारा बैंक को, उठाए गए ब्रिकेटों/श्रेडों के वज़न के लिए, भुगतान दैनिक आधार पर अथवा अगले दिन किया जाएगा।

8. श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के निपटान पर सरकार/स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाया गया कोई भी कर/शुल्क/लेवी ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

9. बताई गई दर, करार की अवधि के दौरान लागू रहेगी।

10. काम के दायरे को स्पष्ट करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष में मात्रा 1100 से 1300 टन के बीच अलग-अलग हो सकती है। ऊपर बताई गई गतिविधियाँ/मात्रा/काम का दायरा, पिछले अनुभव के आधार पर केवल एक अनुमान हैं और भविष्य के कामों में इनमें बदलाव हो सकता है। ऊपर बताई गई इन गतिविधियों/मात्रा/काम के दायरे को भुगतान का आधार नहीं माना जाएगा। भुगतान केवल असल में किए गए काम के आधार पर ही किया जाएगा।

11. दरों में सभी शुल्क शामिल माने जाएंगे, जैसे कि उठाने का खर्च, मजदूरी, परिवहन, सभी कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए वैधानिक शुल्क, बोनस, ओवरहेड लागत, मुनाफ़ा, सभी टैक्स, लेवी आदि या कोई अन्य खर्च। ठेकेदार किसी अन्य खर्च का दावा नहीं करेगा और बैंक बताई गई दर में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा।

12. दर, करेंसी नोट ब्रिकेटों/श्रेडों के प्रति किलोग्राम के हिसाब से, रुपए में और दो दशमलव स्थानों तक बताई जाएगी। बताई गई दर में **जीएसटी** और अन्य सभी कर शामिल नहीं होंगे। ठेकेदार द्वारा बैंक

को भुगतान किए जाने हेतु प्रति किलोग्राम की अंतिम दर पर पहुंचने के लिए, लागू दर के अनुसार जीएसटी को अलग से जोड़ा जाएगा।